20

छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था

[CHHATTISGARH'S ECONOMY]

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था : आधारभूत विशेषताएं

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनिज, कृषि, ऊर्जा उत्पादन और विनिर्माण पर आधारित है। राज्य में कोयला, लौह-अयस्क, डोलोमाइट तथा अन्य खनिजों की पर्याप्त मात्रा है। यहां पर चावल की कई प्रकार की किस्में, दालें, मक्का और गेहूं की खेती की जाती है। सम्पूर्ण राज्य में बीड़ी के लिए तेंदू पत्ते के उत्पादन हेतु बड़ा भाग उपलब्ध कराया जाता है। राज्य में थर्मल तथा जल विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है तथा अन्य राज्यों को विद्युत आपूर्ति की जाती है। सीमेन्ट यहां का प्रमुख उद्योग है तथा कागज, चीनी, कपड़ा, तेल निर्माण की मिलें स्थापित हैं। देश के बाकी हिस्सों से सड़क, रेल तथा हवाई मार्ग से राज्य अच्छी तरह जुड़ा है।

छत्तीसगढ़ : सकल राज्य घरेलू उत्पाद

किसी भी प्रदेश का सकल राज्य उत्पाद उस प्रदेश की आर्थिक प्रगति को व्यक्त करता है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद-स्थिर भाव पर (GSDP) वर्ष 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में वृद्धि क्रमशः 5.00, 10.00, 1.77, 2.57, 12.13, 3.01, 11.10, 2.76-1.80, 8.46 एवं 8.00 तथा औसत वृद्धि 5.73 प्रतिशत दर्ज की गई।

वर्ष 2022-23 में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र की भागीदारी 16.91 प्रतिशत एवं उद्योग क्षेत्र की भागीदारी 49.88 प्रतिशत अनुमानित है। इसी अवधि में सेवा क्षेत्र की भागीदारी 33.21 प्रतिशत रहने की सम्भावना है। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है :

छत्तीसगढ़ राज्य का उद्योग समूहवार सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर

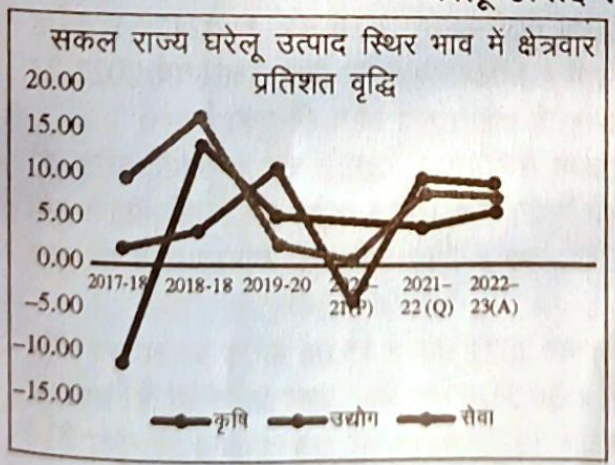

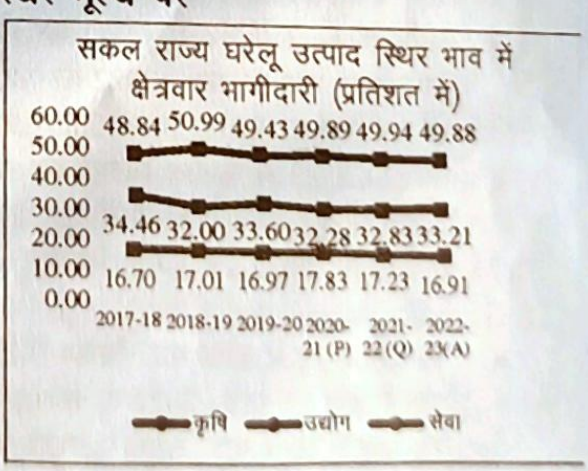

Scanned by PDF Scanner

- **कृषि**—इस क्षेत्र में वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में वृद्धि (स्थिर भाव पर) क्रमशः 10.90, 13.49, 5.22, 4.56, 4.33 एवं 5.93 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2012-13 से 2022-23 तक औसत वृद्धि 5.31 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2016-17 में अच्छी फसल होने के कारण वृद्धि दर 21.28 प्रतिशत रही। वर्ष 2017-18 में प्रमुख कृषि फसलों के उत्पादन के कमी के कारण कृषि क्षेत्र में 10.90 प्रतिशत कमी रही। वर्ष 2011-12 में जहां सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 18.10 प्रतिशत थी, वहीं निरन्तर किन्तु धीमी गति से घटते हुए वर्ष 2022-23 में 16.91 प्रतिशत पर आ गई है।
- **उद्योग**—इस क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत, जलापूर्ति एवं निर्माण क्षेत्र शामिल हैं। वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में उद्योग क्षेत्र में वृद्धि (स्थिर भाव पर) क्रमशः 9.31, 16.29, 2.27, 0.44, 8.07 एवं 7.83 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2012-13 से 2022-23 तक औसत वृद्धि 6.34 प्रतिशत दर्ज की गई। वर्ष 2011-12 में जहां सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी 42.27 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2022-23 में 49.88 प्रतिशत सम्भावित है।
- **सेवा क्षेत्र**—छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए विगत वर्षों में निरन्तर बढ़ रही है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत व्यापार, होटल एवं जलपान गृह, स्थावर सम्पदा एवं अन्य सेवाओं की सर्वाधिक भागीदारी है। वर्ष 2017-18, 1018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में (स्थिर भाव पर) क्रमशः 1.79, 3.40, 10.82, 4.41, 9.80 तथा 9.21 के वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2012-13 से 2022-23 तक औसत वृद्धि 5.37 प्रतिशत परिलक्षित हो रही है। वर्ष 2011-12 में जहां सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 34.63 प्रतिशत थी, यह वर्ष 2022-23 में 33.21 होना अनुमानित है।
- वर्ष 2022-23 में धान (सामान्य) एवं धान (ग्रेड-ए) के समर्थन मूल्य क्रमशः ₹ 2,040 एवं ₹ 2,060 प्रति क्विंटल भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया। खरीफ वर्ष 2021-22 में 21.77 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 97.99 टन धान की खरीदी की गई थी। किसानों को ₹ 24,49,841.81 लाख धान का समर्थन मूल्य भुगतान किया गया है। इस वर्ष किसानों से 120.9 टन मक्का की खरीदी की गई तथा ₹ 22.60 लाख का भुगतान किया गया है। नवम्बर 2022 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1,678 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 11,829 कुल 13,507 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। वर्तमान में कुल ₹ 72.71 लाख राशनकार्ड प्रचलित हैं।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्व प्राप्ति ₹ 89,073.25 करोड़ एवं राजस्व व्यय ₹ 88,371.61 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार राजस्व घाटा ₹ 701.64 करोड़ दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के कुल राजस्व में 7.55 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। गैर कर राजस्व में प्रमुख योगदान केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायक अनुदानों का है। वर्ष 2022-23 के कुल गैर कर राजस्व प्राप्तियों में इसका योगदान 51.94 प्रतिशत अनुमानित है।
- वर्ष 2021-22 में वैट (प्रान्तीय) कर संग्रहण से सितम्बर 2021 तक ₹ 2,242.51 करोड़ प्राप्त हुआ, तथा 31 मार्च, 2022 की स्थिति में ₹ 3,088.74 करोड़ प्राप्त हुआ। वर्ष 2022-23 में माह सितम्बर 2022 तक ₹ 2,801.91 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है।
- वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय विक्रय कर संग्रहण से सितम्बर, 2021 तक ₹ 6.83 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ तथा 31 मार्च, 2022 की स्थिति में ₹ 10.25 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई। साथ ही वर्ष 2022-23 में माह सितम्बर 2022 तक ₹ 7.17 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है।
- वर्ष 2021-22 में प्रवेश कर संग्रहण से सितम्बर 2021 तक ₹ 15.06 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है तथा 31 मार्च, 2022 की स्थिति में ₹ 30.51 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है। साथ ही वर्ष 2022-23 में माह सितम्बर 2022 तक ₹ 18.22 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है।

Scanned by PDF Scanner

- वर्ष 2021-22 में स्थानीय कर संग्रहण से सितम्बर, 2021 तक ₹ 0.09 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, तथा 31 मार्च, 2022 की स्थिति में ₹ 0.24 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है। साथ ही वर्ष 2022-23 में माह सितम्बर, 2022 तक ₹ 0.46 करोड़ का राजस्व प्राप्त हो चुका है।
- वर्ष 2021-22 में SGST संग्रहण से माह सितम्बर, 2021 तक ₹ 3,110.52 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, तथा ISGST संग्रहण से ₹ 1,176.66 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य को ₹ 633.82 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।
- वर्ष 2021-22 में SGST संग्रहण से 31 मार्च, 2022 तक ₹ 3,607.69 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ, तथा IGST संग्रहण से ₹ 1,588.61 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। साथ ही क्षतिपूर्ति के रूप में राज्य को ₹ 583.03 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।
- छत्तीसगढ़ राज्य की बैंकिंग गतिविधियों में निरन्तर वृद्धि हो रही है, जून 2022 की स्थिति में बैंक जमा राशि 2,14,424.87 करोड़ है, जो कि जून 2021 की तुलना में 11.84 प्रतिशत अधिक है। इस सन्दर्भ अवधि में कृषि क्षेत्र में क्रेडिट (अग्रिम) में 20.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
- वर्तमान में प्रदेश में मार्च 2022 की स्थिति में वृहद् मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता 21.47 लाख हेक्टेअर हो गई है। वर्तमान में 08 वृहद्, 38 मध्यम, 2,477 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 30 नलकूप योजना एवं 806 एनीकट/स्टॉपडेम निर्मित हैं।
- राज्य में मत्स्योत्पादन समस्त स्रोतों से वर्ष 2021-22 में 5,91,284 में टन किया गया जो गत वर्ष की तुलना में 2.42 प्रतिशत अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.999 लाख हेक्टेअर जल क्षेत्र उपलब्ध है जिसमें से 1.961 लाख हेक्टेअर जलक्षेत्र मछली पालन के अन्तर्गत विकसित किया जा चुका है जो कुल जलक्षेत्र का 98.09 प्रतिशत है।
- गोधन न्याय योजना के अन्तर्गत नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कुल 21,647 पशुपालकों से 23,54,513.47 क्विंटल गोबर खरीदा जा चुका है वर्तमान में कुल 5,82,361.024 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट, 24,781.768 क्विंटल गोकाष्ठ, 2,06,79017 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट तैयार किया जा चुका है तथा इनके विक्रय से कुल राशि ₹ 24,72,98,410.2 प्राप्त किया जा चुका है।
- 31 मार्च, 2022 की स्थिति में कोयले का उत्पादन 1,54,120 हजार टन, लौह अयस्क का 41,313 हजार टन, चूना पत्थर का 41,888 हजार टन, बॉक्साइट का 968 हजार टन तथा टिन का 26,383 किग्रा. उत्पादन हुआ है।
- वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य का राजस्व आय में खनिज विभाग का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्य खनिज से ₹ 7,320.35 करोड़ आय हुई, वहीं गौण खनिजों से इसी अवधि में ₹ 252.85 करोड़ आय हुई है। राज्य की खनिज राजस्व आय मूलतः कोयला एवं लौह अयस्क से ही प्राप्त होती है।
- राज्य में सुनियोजित विकास के लिए वर्तमान में "औद्योगिक नीति 2019-24" अपनायी गई है। राज्य में वर्ष 2021-22 में लगभग 19,725 करघों पर लगभग 59,175 बुनकर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न हैं।
- राज्य शासन के अधीन विद्युत् संयन्त्रों द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17,953.18 मिलियन यूनिट (तापीय 17515.518 जलीय 431.39 एवं अन्य सह-उत्पादन 6.270 मिलियन यूनिट) विद्युत् का उत्पादन किया गया। अक्टूबर 2022 की स्थिति में कुल स्थापित क्षमता 2,984.70 मेगावाट है। इसमें 2,840 मेगावाट ताप विद्युत्, 138.7 मेगावाट जल विद्युत् तथा 6 मेगावाट अन्य (सह-उत्पादन) की स्थापित क्षमता है। वर्ष 2021-22 में वितरण हानि का प्रतिशत 18.13 रहा।
- हॉफ बिजली बिल स्कीम के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में सितम्बर 2021 तक राज्य के लगभग 41.94 लाख उपभोक्ताओं को ₹ 548.77 करोड़ की छूट दी जा चुकी है।

Scanned by PDF Scanner

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में सितम्बर तक 13.55 लाख परिवारों को रोजगार 325.57 लाख मानव दिवस सृजित महिलाओं का प्रतिशत 52 है। वर्ष 2022-23 में सितम्बर तक 6,185 परिवारों को 100 दिवस का रोजगार दिया गया हो।
- वर्ष 2022-23 में सितम्बर, 2022 की स्थिति में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 19,678 ग्रामों के 75,233 बसाहटों में 2,51,042 हैंडपम्प, शालाओं में 16,716 एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में 14,577 हैण्डपम्प इस प्रकार 2,82,335 हैण्डपम्प स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।
- जल जीवन मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2022-23 में सितम्बर, 2022 की स्थिति में कुल 4,83,034 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया गया है।
- वर्ष 2021-22, माह अगस्त 2021 तक 1,17,360 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया है तथा (31 मार्च 22) तक 4,06,857 वाहनों का रजिस्ट्रेशन किया गया तथा वर्ष 2022-23 में माह सितम्बर 22 तक 1,85,571 वाहनों का पंजीकरण किया गया है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वर्ष 2022-23 में प्रगति की सम्भावनाएं

स्थिर भावों पर (आधार वर्ष 2011-12)

अग्रिम अनुमान वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य (GSDP at Market Prices) पर गत वर्ष 2021-22 की तुलना में 8.00 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। जिसमें कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र (कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं वन) में 5.93 प्रतिशत वृद्धि, उद्योग क्षेत्र (निर्माण, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति सम्मिलित) 7.83 प्रतिशत वृद्धि एवं सेवा क्षेत्र में 9.21 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

प्रचलित भावों पर

अग्रिम अनुमान वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य) (GSDP at Market Price) पर गत वर्ष 2021-22 के ₹ 4,06,416 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,57,608 करोड़ होना सम्भावित है, जो कि 12.60 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जिसमें वर्ष 2021-22 में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र ₹ 85,492 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 94,635 करोड़ इसी प्रकार उद्योग क्षेत्र में ₹ 1,63,616 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 1,83,586 करोड़ एवं सेवा क्षेत्र में 1,36,329 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 1,55,995 करोड़ होना सम्भावित है, जो कि गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्रमशः 10.70, 12.21 एवं 14.43 प्रतिशत आकलित है।

वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के त्वरित अनुमान स्थिर भावों (आधार वर्ष 2011-12) पर

राज्य के सकल घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य (GSDP at Market Prices) त्वरित अनुमान के अनुसार गत वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में 8.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जिसमें कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र (कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं वन) में 4.33 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र (निर्माण, विनिर्माण, खनन एवं उत्खनन, विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति सम्मिलित) में 8.07 प्रतिशत एवं सेवा क्षेत्र में 9.80 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

प्रति व्यक्ति आय

(निवल राज्य घरेलू उत्पाद Net State Domestic Product प्रचलित भावों पर)

प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2021-22 के त्वरित अनुमान के अनुसार 1,20,704 (एक लाख बीस हजार सात सौ चार) रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2022-23 अग्रिम अनुमान में ₹ 1,33,898 (एक लाख तैतीस हजार आठ सौ अठान्वे) होना अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.93 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है।

Scanned by PDF Scanner

छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद स्थित (2011-12) के मूल्यों पर

(₹ लाख में)

क्षेत्र समूह	2019-20	2020-21 (P)	2021-22 (Q)	2022-23 (A)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/कमी		
					2020-21 (P)	2021-22 (Q)	2022-23 (A)
कृषि	39,90,204	41,72,014	43,52,524	46,10,803	4.56	4.33	5.93
उद्योग	1,16,22,812	1,16,74,378	1,26,15,960	1,36,03,264	0.44	8.07	7.83
सेवा	79,02,310	75,53,983	82,94,627	90,58,266	–4.41	9.80	9.21
सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	2,35,15,326	2,34,00,375	2,52,63,111	2,72,72,333	–0.49	7.96	7.95
उत्पादकर-उत्पाद सब्सिडी	16,17,140	12,79,984	15,04,975	16,35,908	–20.85	17.58	8.70
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य पर)	2,51,32,466	2,46,80,359	2,67,68,086	2,89,08,241	–1.80	8.46	8.00

छत्तीसगढ़ राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (प्रचलित मूल्यों पर)

(₹ लाख में)

क्षेत्र समूह	2019-20	2020-21 (P)	2021-22 (Q)	2022-23 (A)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि/कमी		
					2020-21 (P)	2021-22 (Q)	2022-23 (A)
कृषि	71,86,254	78,17,765	85,49,180	94,63,522	8.79	9.36	10.70
उद्योग	1,34,49,482	1,35,69,408	1,63,61,567	1,83,58,570	0.89	20.58	12.21
सेवा	1,18,59,401	1,18,08,573	1,36,32,900	1,55,99,495	–0.43	15.45	14.43
सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन (आधार मूल्य पर)	3,24,95,137	3,31,95,746	3,85,43,647	4,34,21,587	2.16	16.11	12.66
उत्पादकर-उत्पाद सब्सिडी	19,69,676	15,79,500	20,97,935	23,39,239	–19.81	32.82	11.50
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्य पर)	3,44,64,813	3,47,75,246	4,06,41,582	4,57,60,826	0.90	16.87	12.60

(P) = अनांतिम, (Q) = त्वरित, (A) = अग्रिम।

- छत्तीसगढ़ राज्य का जी.एस.डी. पी. स्थिर मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में ₹ 2 लाख 67 हजार 6 सौ 81 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹ 2 लाख 89 हजार 82 करोड़ अनुमानित है। इस वर्ष विकास दर 8.00 प्रतिशत होना अनुमानित है।
- छत्तीसगढ़ एवं भारत के जी.डी.पी. विकास दर स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011-12) पर तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :

वर्ष	छत्तीसगढ़	भारत
2022-23	8.0 प्रतिशत	7.0 प्रतिशत

- छत्तीसगढ़ राज्य का जी.एस.डी.पी. (प्रचलित मूल्यों पर) वर्ष 2022-23 में ₹ 4 लाख 57 हजार 6 सौ 8 करोड़ अनुमानित है। इस वर्ष जी. एस. डी. पी. (प्रचलित मूल्यों पर) विकास दर 12.60 प्रतिशत होना अनुमानित है।
- जी.एस.डी.पी. के घटकों की विकास दर स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011-12) में छत्तीसगढ़ एवं भारत का तुलनात्मक विवरण इस प्रकार है :

Scanned by PDF Scanner

क्षेत्र	वर्ष 2022-23		अभियुक्ति
	छत्तीसगढ़	भारत	
कृषि क्षेत्र उद्योग क्षेत्र सेवा क्षेत्र	5.93 7.83 9.21	3.45 4.11 9.14	अखिल भारतीय वृद्धि दर से तुलनात्मक रूप से हमारा प्रदर्शन बेहतर रहना अनुमानित है। वर्ष 2022-23 में अखिल भारत की तुलना में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुई है। जो कि शासन की नीतियों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के फलस्वरूप तुलनात्मक रूप से वृद्धि परिलक्षित हुई है।

- जी.डी.पी. स्थिर भाव (आधार वर्ष 2011-12) में क्षेत्रवार योगदान छत्तीसगढ़ एवं भारत का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :

क्षेत्र	वर्ष 2022-23	
	छत्तीसगढ़	भारत
कृषि क्षेत्र	16.9 प्रतिशत	15.0 प्रतिशत
उद्योग क्षेत्र	49.9 प्रतिशत	30.0 प्रतिशत
सेवा क्षेत्र	33.2 प्रतिशत	55.0 प्रतिशत

- प्रति व्यक्ति आय (निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर)

वर्ष 2022-23	छत्तीसगढ़	भारत
प्रति व्यक्ति आय (₹ में)	1 लाख 33 हजार 898	1 लाख 70 हजार 620
वृद्धि प्रतिशत में	10.93 प्रतिशत	13.7 प्रतिशत

छत्तीसगढ़ में कृषि

महत्वपूर्ण तथ्य

- फसल क्षेत्र का राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में भागीदारी वर्ष 2021-22 (अग्रिम) 25,86,429 लाख अनुमानित है।
- फसल बीमा योजनान्तर्गत 2022-23 खरीफ में 13,95,369 कृषकों का बीमा कराया गया तथा वर्ष 2021-22 में 6,97,567 कृषकों (खरीफ रबी) के दावों का भुगतान किया गया।
- राज्य में अब तक 2,805 कृषि यन्त्र सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।
- गोधन न्याय योजनांतर्गत गौठान सहकारी समितियों के माध्यम से 15,65,087 क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट 10 ₹ प्रति किलो 3,78,307 क्विण्टल सुपर कम्पोस्ट 6 ₹ प्रति किलो एवं 3023 क्विण्टल सुपर कम्पोस्ट प्लस 6.50 ₹ प्रति किलो की दर से किसानों को विक्रय किया जा चुका है।
- वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत 38.75 हो गया है।
- राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मंडियां एवं 118 उप-मंडियां कार्यरत हैं।
- प्रदेश में मार्च 2022 की स्थिति में वृहद्, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता 21.47 लाख हेक्टेयर हो गई है।
- वर्तमान में 8 वृहद्, 38 मध्यम, 2477 लघु सिंचाई योजनाएं तथा 30 नलकूप योजना एवं 806 एनीकट/स्टॉपडेम निर्मित हैं।
- पशुधन क्षेत्र की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में (स्थिर भाव) में भागीदारी वर्ष 2021-22 (अग्रिम) 4,17,187 ₹ लाख है।
- छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 1.999 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है जिसमें से 1.961 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र मछली पालन के अन्तर्गत विकसित किया जा चुका है, जो कुल जल क्षेत्र का 98.09 है।

स्रोत : छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, 2022-23

Scanned by PDF Scanner

छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 80% जनसंख्या का जीवन-यापन कृषि पर आश्रित है। प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवारों में से 82% लघु एवं सीमान्त श्रेणी में आते हैं, वर्तमान में प्रदेश में सभी स्रोतों से लगभग 36% क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। उपलब्ध सिंचाई में से सर्वाधिक 52% क्षेत्र सिंचाई जलाशयों/नहरों के माध्यम से सिंचित है। प्रदेश की लगभग 55% काश्तभूमि की जलधारण क्षमता कम होने के कारण बिना सिंचाई साधन के दूसरी फसल लेना सम्भव नहीं होता।

राज्य गठन के पश्चात् कृषि विकास के कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा राज्य शासन के कृषकोन्मुखी योजनाओं/कार्यक्रमों के फलस्वरूप कृषि विकास की गति में बढ़ोतरी हुई है तथा राज्य शासन द्वारा कृषकों की आर्थिक उन्नति हेतु निरन्तर प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। विगत दो वर्षों की प्रगति निम्नानुसार है :

प्रमुख फसल उत्पादन (000 में टन)

क्र.	फसल	2020 पूर्ति	2021 पूर्ति	वृद्धि/कमी %
खरीफ				
1.	धान (चावल)	8,946.3	8,347.99	– 7
2.	मक्का	576.31	619.72	8
3.	अरहर	71.66	62.19	– 13
4.	मूंग	7.67	5.53	– 28
5.	उड़द	56.36	50.39	– 11
6.	मूंगफली	69.31	59.42	– 14
7.	सोयाबीन	51.92	28.96	– 44
8.	रामतिल	10.46	9.79	– 6
9.	अन्य	62.94	82.35	31
क्र.	**फसल**	**2020-21**	**2021-22**	**वृद्धि/कमी %**
रबी				
1.	ग्रीष्म धान (चावल)	854.67	698.72	– 18
2.	मक्का	313.56	408.14	30
3.	गेहूं	368.27	274.88	– 25
4.	चना	338.33	277.4	– 18
5.	मटर	20.06	17.8	– 11
6.	तिवड़ा	122.72	108.55	– 12
7.	राई-सरसों	70.86	73.86	4
8.	अलसी	14.97	13.27	– 11
9.	गन्ना एवं अन्य	289.49	352.08	22

स्रोत : संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़।

कृषि विकास

सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार

कृषि विकास में सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश में समस्त सिंचाई स्रोत से 36 प्रतिशत सिंचाई क्षमता है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई कूप एवं पम्प स्थापना हेतु शाकम्भरी योजना प्रारम्भ की गई है। इसके अतिरिक्त पूर्व से संचालित लघु सिंचाई नलकूप योजना में देय अनुदान राशि में वृद्धि की गई है। सिंचाई जल के बेहतर उपयोग एवं नगदी फसलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई योजना अन्तर्गत सभी वर्ग के लघु सीमान्त कृषकों को स्प्रिंकलर पर 70 प्रतिशत (33 प्रतिशत केन्द्रांश + 37 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान दिया जा रहा है, अन्य किसानों को 50 प्रतिशत (27 प्रतिशत केन्द्रांश + 23 प्रतिशत राज्यांश) अनुदान दिया जा रहा है। सिंचित क्षेत्र के विस्तार हेतु संचालित योजनाओं की उपलब्धियां :

Scanned by PDF Scanner

सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना प्रगति

क्र. सं.	विवरण		2020-21 पूर्ति	2022-23 लक्ष्य		2022-23 पूर्ति	
				संख्या	सिंचाई क्षमता (हे.)	संख्या	सिंचाई क्षमता (हे.)
1.	किसान समृद्धि योजना/लघु सिंचाई (नलकूप) योजना		936	1,415	2,547	96	173
2.	लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना		03 पूर्ण 73 निर्माण	110	3,850	73 (निर्माणाधीन)	2,700
3.	टारगेटिंग राईस फेलो एरिया	चेकडेम	41	—	—	—	—
4.	शाकम्भरी योजना	कूप	75	100	100	80	80
		पम्प	8,251	80	8,251	787	787

लघुत्तम सिंचाई—कृषि विभाग द्वारा लघुत्तम सिंचाई तालाब योजनांतर्गत शासकीय भूमि में शत्-प्रतिशत शासकीय व्यय पर 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता के तालाब निर्मित किये जाते हैं। वर्ष 2020-21 में किए गये कार्यों की जानकारी निम्नानुसार है :

लघुत्तम सिंचाई

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	भौतिक पूर्ति	व्यय
1.	2021-22	03 पूर्ण 73 निर्माण	1,789.98
2.	2022-23	73 निर्माणाधीन	852.82

आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण

प्रदेश में किसानों को उच्चगुणवत्तायुक्त, अधिक उत्पादन देने वाले प्रमाणित बीज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन द्वारा विशेष प्रयास किये गये हैं। प्रमाणित बीज का उपयोग कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि का प्रमुख आधार है। राज्य पोषित/केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत आधार/प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण पर ₹ 500 से लेकर 2,500 तक अनुदान देने का प्रावधान है।

उर्वरक एवं जैविक खाद वितरण

कृषि में फसल उत्पादन एवं उर्वरक क्षमता हेतु आदान-प्रदान सामग्री के रूप में मुख्यतः रासायनिक उर्वरक एवं जैव उर्वरक की आवश्यकता होती है। विगत् दो वर्षों में उर्वरक एवं जैव उर्वरक वितरण की प्रगति निम्नानुसार है :

उर्वरक वितरण

वर्ष	उर्वरक वितरण (तत्व रूप में) (000 में टन)				प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत (कि. ग्रा. में)			
	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग	नत्रजन	स्फुर	पोटाश	योग
वर्ष 2021-22								
खरीफ पूर्ति	3,49,825	1,96,271	64,219	6,10,315	73	41	13	128
रबी पूर्ति	1,43,072	50,434	9,823	2,03,329	79	28	5	113
योग (खरीफ + रबी)	**4,92,897**	**2,46,705**	**74,042**	**8,13,644**	**76**	**35**	**9**	**121**
वर्ष 2022-23								
खरीफ पूर्ति (अनु.)	3,66,200	2,10,592	66,810	6,43,602	76	44	14	134

Scanned by PDF Scanner

राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा

राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2014 से राज्य पोषित जैविक खेती मिशन एवं वर्ष 2016 से केन्द्र प्रवर्तित परम्परागत कृषि विकास योजना संचालित है। पूर्व में योजनाओं का क्रियान्वयन 5 जिलों में शुरू किया गया। वर्तमान में इन योजनाओं का विस्तार समस्त जिलों में करते हुए 5 जिले गरियाबंद, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर को पूर्ण जैविक जिला एवं शेष 22 जिलों के एक-एक विकासखण्ड को पूर्ण जैविक बनाने हेतु कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

जैविक फसलें

राज्य में धान की सुगंधित किस्में-बासमती, बादशाहभोग, दुबराज, पुसासुगंध, जंवाफूल, मोतीचुर, जीराफुल, तुलसी-मंजरी, काली कमोद, लोक्टीमांछी, कालीगिलास, तिलकस्तुरी (Green Rice), मक्का एवं लघु धान्य फसलें-कोदो-कुटकी, रागी, सांवा, कोसरा आदि एवं दलहन-तिलहन फसलें-अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल आदि की जैविक खेती की जा रही है।

प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण, संचयन, सिंचाई स्रोतों के विकास, भू-जलवर्धन तथा उपलब्ध जल के दक्षतापूर्ण उपयोग की महत्वपूर्ण योजना है। योजनांतर्गत पांच वर्षों के लिए कुल राशि ₹ 54,931.71 करोड़ की परियोजना स्वीकृत है जिससे प्रदेश का 25,94,284 हेक्टेयर अतिरिक्त रकबा सिंचित किया जाना प्रस्तावित है।

रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (RAD)

नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA) के घटक रेनफेड एरिया डेवलपमेंट (RAD) का क्रियान्वयन वर्ष 2014-15 से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि को उत्पादकता वर्धक, टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु के अनुकूल बनाना है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

प्रदेश में कृषकों की फसलों के बीमा हेतु खरीफ वर्ष 2016 से प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना लागू की गई जिसमें क्षतिपूर्ति हेतु पात्रता निर्धारित है।

कृषि यांत्रिकीकरण

विभिन्न कृषि कार्यों के सुगमतापूर्वक एवं उचित समय पर पूर्ण कर उत्पादन में वृद्धि तथा प्रदेश के लघु सीमांत कृषकों को किराये पर उन्नत कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के साथ ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना/फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना संचालित की जा रही है। योजनांतर्गत कृषि यंत्र सेवा के केन्द्र स्थापित करने पर राशि ₹ 10.00 लाख अनुदान देय है। राज्य में अब तक 2805 कृषि यंत्र सेवा केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है।

गोधन न्याय योजना

जल संरक्षण, पशु संवर्धन, मृदा स्वास्थ्य एवं पोषण प्रबन्धन की कार्यवाही को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परम्परा से जोड़ते हुए तथा आम जन के सहयोग से सफल करने 'सुराजी गांव योजना' के माध्यम से नरवा, गरूवा, घुरूवा, बाड़ी संरक्षण एवं संवर्धन का अभियान प्रारम्भ किया है। सांस्कृतिक परम्परा से परिपूर्ण इस कार्यक्रम को सरकार ने अपनाते हुए इसको एक अभियान के रूप में लिया है।

कृषि विपणन

कृषि उपज मण्डियां—छत्तीसगढ़ में कृषि उत्पादन के सुनियोजित विपणन में कृषि उपज मण्डियों का विशेष योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 69 कृषि उपज मण्डियां एवं 118 उप-मण्डियां कार्यरत हैं। मण्डी समितियों का मुख्य उद्देश्य कृषकों को शोषण से बचाना, समयावधि में उनको उपज का उचित मूल्य दिलाना एवं विपणन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

Scanned by PDF Scanner

उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी

छत्तीसगढ़ राज्य में उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उद्यानिकी विभाग द्वारा फल, सब्जी, मसाला, पुष्प एवं औषधीय पौध विकास योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। विभाग के अन्तर्गत 136 उद्यान रोपणी तथा दो सब्जी बीज उत्पादन सह प्रगुणन प्रक्षेत्र है।

राज्य तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

उद्यानिकी विभाग द्वारा नवीन योजनाएं कलस्टर पद्धति के आधार पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन कराया जा रहा है जिसके अन्तर्गत जिलों में विकास खण्ड स्तर पर 20-25 ग्राम समूहा का चयन कर प्रत्येक ग्राम में कम-से-कम 20-25 एकड़ एवं प्रत्येक कलस्टर में 200 से 250 एकड़ रकवे में उद्यानिकी फसलों का आच्छादन किया जाएगा, जिससे कृषक को विपणन एवं प्रसंस्करण की सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

छत्तीसगढ़ : भूमि धारण
(CHHATTISGARH : LAND HOLDINGS)

भारतीय संघ के 26वें राज्य के रूप में 01 नवम्बर, 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक स्थिति 17°46′ से 24°5′ उत्तर अक्षांश तथा 80°15′ से 84°20′ पूर्व देक्षांश है। राज्य की औसत वार्षिक वर्षा 1207 मिमी है। राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 138 लाख हेक्टेअर है, जिसमें से फसल उत्पादन का कुल क्षेत्र 46.51 लाख हेक्टेअर है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 34 प्रतिशत है। राज्य के लगभग 57 प्रतिशत क्षेत्र में मध्यम से हल्की भूमि है। छत्तीसगढ़ देश के सबसे सम्पन्न जैव विविध क्षेत्रों में से एक है, जिसका लगभग 63.40 लाख हेक्टेअर, क्षेत्र वनाच्छादित है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 46 प्रतिशत है।

राज्य की कुल जनसंख्या लगभग 2.55 करोड़ है, जिसमें से लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलिप्त हैं। राज्य में लगभग 37.46 लाख कृषक परिवार हैं, जिसमें से लगभग 80 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त श्रेणी के हैं। धान, सोयाबीन, उड़द एवं अरहर खरीफ मौसम की मुख्य फसले हैं तथा रबी मौसम में मुख्य रूप से चना एवं तिबड़ा का उत्पादन लिया जाता है। राज्य के कुछ जिले गन्ना उत्पादन हेतु उपयुक्त हैं तथा वर्तमान में राज्य में 04 सहकारी शक्कर कारखाने सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। राज्य की अन्य फसलों में मक्का, लघु-धान्य, मूंग, गेहूं, मूंगफली इत्यादि सम्मिलित हैं। छत्तीसगढ़ के मध्य मैदानी क्षेत्र को मध्य भारत का 'धान का कटोरा' कहा जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त योजना के अन्तर्गत द्विफसलीय क्षेत्र में वृद्धि, फसल पद्धति विविधिकरण एवं कृषि-आधारित लघु उद्योग के माध्यम से आय में वृद्धि पर कार्य कर रहा है। कृषि क्षेत्र के सामर्थ्य के समुचित उपयोग हेतु शासन द्वारा जल संसाधनों के बेहतर उपयोग पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। कृषकों की वर्षा पर निर्भरता को कम करने की दृष्टि से शासन राज्य की सिंचाई सुविधा में वृद्धि हेतु कार्यरत है। वर्तमान में लगभग 14.76 लाख हेक्टेअर राज्य का कुल सिंचित क्षेत्रफल है, जो कि कुल उत्पादन क्षेत्र का लगभग 32 प्रतिशत है।

छत्तीसगढ़ राज्य को तीन कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। कृषि जलवायु क्षेत्रवार क्षेत्रफल, मृदा, सिंचाई, फसल पद्धति की जानकारी अग्र तालिका में दी गयी है :

Scanned by PDF Scanner

कृषि जलवायु क्षेत्र	सम्मिलित जिले	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	कुल उत्पादन क्षेत्र	मृदा के प्रकार	सिंचाई प्रतिशत	फसल पद्धति	
						वर्षा आधारित	सिंचित
छत्तीसगढ़ का मैदान (15 जिले)	रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, महासमुंद, धामतरी, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनादगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़ एवं कांकेर जिले का कुछ हिस्सा (नरपुर एवं कांकेर विकासखण्ड)	68.49 लाख हेक्टेअर (50%)	32.95 लाख हेक्टेअर	भांठा-36% मटासी-21% डोरसा-22% कन्हार-18% कछार-3%	43%	धान-पड़त, धान-तिवड़ा, धान-चना/गेहूं, सोयाबीन-चना/गेहूं, सोयाबीन/ अरहर/कोदो/ उड़द/मूंग/ तिल+अरहर, मक्का-सरसों	धान-चना/ गेहूं/सूर्यमुखी, धान/ मक्का-उड़द, सोयाबीन+ अरहर, गन्ना
बस्तर का पठार (7 जिले)	जगदलपुर, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा एवं कांकेर का शेष हिस्सा	39.06 लाख हेक्टेअर (29%)	6.40 लाख हेक्टेअर	भांठा-2% मटासी-25% डोरसा-34% कन्हार-10% कछार-5%	5%	धान-पड़त, मक्का-पड़त, लघुधान्य/ रामतिल-पड़त, अरहर + मूंग/उड़द-पड़त	धान-गेहूं/ चना, मक्का-चना/सरसों, धान-मक्का, गन्ना
सरगुजा का उत्तरी क्षेत्र (5 जिले)	सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जशपुर एवं रायगढ़ जिले का धरम-जयगढ़ तहसील	28.47 लाख हेक्टेअर (21%)	8.35 लाख हेक्टेअर	भांठा-13% मटासी-29% डोरसा-28% कन्हार-28% कछार-2%	11%	धान-पड़त, मक्का-पड़त, पड़त-कुल्थी/ रामतिल, अरहर-पड़त, धान-गेहूं, मक्का-सरसों, गन्ना	धान-गेहूं, मक्का-गेहूं/ सरसों, गन्ना

छत्तीसगढ़ भूमि-धारण (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2013

इस अधिनियम का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में है तथा अगस्त 2013 से प्रवृत्त है। इस अधिनियम के अन्तर्गत भूमि के विक्रय, विनिमय एवं अन्तरण की वैधता निम्नवत् है :

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी शासकीय अभिकरण द्वारा खरीदी गई भूमि या जिसका आधिपत्य विनियम के करार या विक्रय के करार के अधीन प्राप्त किया गया हो, ऐसी खरीदी, ऐसे विक्रय के करार या विनिमय के करार, जिन्हें राजपत्र में राज्य शासन द्वारा एक बार अधिसूचित किया जायेगा, मात्र इस आधार पर अवैध नहीं माने जाएंगे कि उन्हें शासकीय अभिकरण द्वारा उचित रूप से मुद्रांकित या पंजीकृत नहीं कराया गया है।

Scanned by PDF Scanner

(2) शासकीय अभिकरण द्वारा उक्त भूमि का, जिन्हें राजपत्र में राज्य शासन द्वारा एक बार अधिसूचित किया जाएगा, पट्टाधारियों को किया गया अन्तरण, विधिमान्य रूप से अन्तरित किया गया समझा जाएगा एवं शासकीय अभिकरण को किए गये ऐसे समस्त अन्तरण और पट्टाधारियों को किया गया उत्तरवर्ती अन्तरण, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के प्रावधानों के अन्तर्गत वैध एवं विधिमान्य एवं नामांतरित समझे जाएंगे।

(3) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन, उक्त खरीदी, विक्रय के करार अथवा विनिमय के करार, जो शासकीय अभिकरण को अन्तरित करने या विनिमय करने के सम्बन्ध में किए गए थे, में मूल स्वामियों द्वारा, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) के प्रावधानों के अधीन भू-अभिलेखों में, स्वामित्व के सम्बन्ध में किया गया कोई पश्चातवर्ती परिवर्तन अवैध समझा जायेगा।

छत्तीसगढ़ में भूमि उपयोग
(LAND USES IN CHHATTISGARH)

आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राज्य में भूमि का उपयोग निम्नवत् है :

क्र.	विवरण	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	1,37,88,302	1,37,88,302	1,40,44,904	1,40,90,278
2.	वनों के अन्तर्गत क्षेत्रफल	18,46,828	18,49,876	18,58,011	18,50,364
3.	**कृषि के लिए जो भूमि उपलब्ध नहीं है**				
	(अ) गैर कृषि उपयोग में लाई गई भूमि	7,39,026	7,50,203	7,51,095	7,43,920
	(ब) ऊसर व गैर-मुस्तकिल भूमि	2,88,118	2,87,265	2,87,529	2,94,194
	उपयोग-3	10,27,144	10,37,468	10,38,624	10,38,114
4.	**पड़ती भूमि के अतिरिक्त अन्य अकृष्य भूमि**				
	(अ) स्थायी तथा दीगर चरगाह	8,87,314	8,93,044	8,95,107	8,92,817
	(ब) विविध झाड़ों के झुण्ड तथा बाग जो बोये हुए क्षेत्र में शामिल नहीं हैं।	2,316	2,745	2,828	2,544
	(स) कृषि योग्य बंजर भूमि	3,65,376	3,66,459	3,60,664	3,82,973
	उपयोग-4	12,55,006	12,62,248	12,58,599	12,78,334
5.	**पड़ती भूमि**				
	(अ) पड़त भूमि चालू पड़ती के अतिरिक्त	2,57,028	2,55,610	2,54,817	2,57,369
	(ब) चालू पड़ती भूमि	2,64,175	2,90,907	3,00,685	2,78,066
	उपयोग-5	5,21,203	5,46,517	5,55,502	5,35,435
6.	कुल अकृष्य भूमि पड़ती शामिल कर उपयोग -4+5	17,76,209	18,08,765	18,14,101	18,13,769
7.	**शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल**	46,81,090	46,35,340	46,22,725	46,30,966
8.	एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल	9,43,232	10,99,262	10,89,769	10,72,879
9.	सकल बोया गया क्षेत्रफल	56,24,322	57,34,602	57,12,494	57,03,845

स्रोत : आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, छत्तीसगढ़

आर्थिक सर्वेक्षण : 2022-23 पृ. 137

Scanned by PDF Scanner

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र

(हजार हेक्टेअर में)

क्र.	फसल	प्रमुख फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र								
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.0	**अनाज**									
1.1	धान	3987.7	4035.7	3959.7	4052.60	3976.63	4140.97	4192.23	4339.26	4348.23
1.2	गेहूं	105.0	103.2	105.8	102.1	102.2	99.97	116.27	167.50	160.27
1.3	ज्वार	5.2	5.0	5.4	4.0	3.73	3.08	1.97	1.27	1.03
1.4	मक्का	123.4	125.1	126.4	120.5	119.6	118.2	130.4	147.2	132.3
1.5	कोदो-कुटकी	102.0	91.6	82.8	76.3	68.83	62.81	46.44	41.33	50.35
1.6	जौ	2.7	2.5	1.1	2.1	1.88	1.70	1.79	1.14	0.86
1.7	छोटे अनाज	33.0	30.4	38.1	35.5	29.03	21.05	21.14	15.68	13.03
2.0	**दालें**									
2.1	चना	267.9	289.7	280.9	290.7	335.03	330.93	419.93	314.85	332.90
2.2	तुअर	51.9	52.8	65.1	63.5	63.25	62.78	35.77	39.89	46.29
2.3	उड़द	98.7	96.9	97	94.4	88.34	82.39	76.06	76.95	75.05
2.4	मूंग-मोठ	15.5	15.2	14.9	15.2	11.96	10.73	6.44	5.02	4.90
2.5	कुल्थी	47.6	45.9	44.3	43.7	41.6	38.6	26.3	21.6	19.4
2.6	लाख (तिवडा)	331.8	315.2	273.8	263.2	241.2	177.7	188.6	171.6	173.0
3.0	**गन्ना**	23	23.9	30.1	31.4	34.8	43.3	31.2	32.2	36.7
4.0	**तिलहन**									
4.1	मूंगफली	29.4	29.2	29	26.7	25.41	23.65	22.10	22.76	24.97
4.2	रामतिल	66.2	63.6	64.3	60.8	56.32	55.56	36.32	29.30	27.07
4.3	तिल	19.7	17.0	19.5	18.4	17.26	16.57	14.95	14.83	15.17
4.4	सोयाबीन	101.5	107.8	82.2	96.2	91.56	81.56	75.11	64.50	33.93
4.5	अलसी	32.2	31.2	25.1	21.6	17.76	16.11	13.00	9.88	10.60
4.6	राई सरसों	47	47.5	46.3	40.5	41.42	38.85	35.03	31.84	34.08

स्रोत : आयुक्त भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़

आर्थिक सर्वेक्षण, 2022-23 पृ. 140

उद्योग एवं औद्योगिक विकास

छत्तीसगढ़ की आर्थिक समृद्धि और विकास में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पूर्व में छत्तीसगढ़ की जनता अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति लकड़ी तथा लोहे के कृषि उपकरण, मिट्टी के बर्तन, कपड़ा-रंगाई इत्यादि लघु उद्योगों द्वारा करती थी। 1950 के दशक में देश में औद्योगीकरण आरम्भ होने के बाद यहां भी उद्योगों का सिलसिला शुरू हुआ। अविभाजित मध्य प्रदेश में दुर्ग को छोड़कर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा माना जाता था। वर्ष 1981 में रायपुर में औद्योगिक विकास निगम की स्थापना तथा वर्ष 1982 में टॉस्क फोर्स के गठन के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ में अनेक औद्योगिक केन्द्र स्थापित किया गए। अधिसंरचना की सुविधा, खनिज पदार्थों की विपुलता, भूमि व करों में राहत के फलस्वरूप राज्य में निवेशकों ने आधुनिक आवश्यकता की अनेक इकाइयां स्थापित की।

कोरबा, रायगढ़ तथा सरगुजा के प्रचुर कोयला भण्डारों पर आधारित विशाल ताप विद्युत संयन्त्र राज्य के औद्योगिकरण को ऊर्जा व गति प्रदान कर रहे हैं। राज्य में स्टील, सीमेन्ट, ऐलुमिनियम तथा कृषि पर आधारित उद्योग एवं इनके सहायक उद्योगों की स्थापना से रोजगार के नए अवसर बढ़े हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कई वृहद्, मध्यम एवं लघु उद्योग संचालित है।

Scanned by PDF Scanner

महत्वपूर्ण तथ्य

- वर्ष 2022-23 (अग्रिम) में विनिर्माण क्षेत्र में सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) योगदान 50,90,529 लाख अनुमानित है।
- नई औद्योगिक नीति 2019-24 के अन्तर्गत विभिन्न औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन/स्टार्टअप योजनाएं लागू की गई हैं।
- रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप आधार पर जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क प्रस्तावित है, जिसकी प्रारम्भिक परियोजना लागत ₹ 350 करोड़ है।
- राज्य में वर्ष 2021-22 में लगभग 19,725 करघों पर लगभग 59,175 बुनकर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न हैं।
- वर्ष 2021-22 में पालित टसर 711.651 लाख नग उत्पादन था। वर्ष 2022-23 में 21 सितम्बर तक 165.163 लाख नग उत्पादन किया गया है।
- छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा 9 उत्पादन केन्द्र कुंवरगढ़, सारागांव, मैनपुर, गरियाबंद, भगतदेवरी, तिफरा बिलासपुर, हरदी बाजार, देवरबीजा एवं डिमरापाल, संचालित हैं।
- मलबरी कुकून उत्पादन वर्ष 2021-22 में 59289 किग्रा. हुआ।

स्रोत : छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, 2022-23

लौह-अयस्क उद्योग

भिलाई इस्पात संयन्त्र

सोवियत संघ की सहायता से इस इकाई की स्थापना 1955 ई. में हुई थी। यह शिवनाथ तथा खारून नामक नदियों का जल द्विविभाजक क्षेत्र है।

छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में स्थापित भिलाई इस्पात संयन्त्र, सर्वश्रेष्ठ के रूप में सम्मानित महारत्न कम्पनी सेल की ध्वजवाहक इकाई है। संयन्त्र ने कुशल नेत्रत्व और अथक् परिश्रम तथा उपलब्ध संसाधनों के भरपूर उपयोग से बीते वर्षों की तरह इस वर्ष को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ निष्पादन के साथ पूरा किया है। संयन्त्र ने हॉट मेटल, क्रूड इस्पात और विक्रय इस्पात के उत्पादन तथा विक्रय इस्पात की लोडिंग में भी पिछले सभी कीर्तिमानों को पीछे छोड़ दिया है। इस संयन्त्र को कई बार उत्कृष्ठ एकीकृत इस्पात संयन्त्र के लिए दी जाने वाली प्रधानमन्त्री ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर उत्पादकता, गुणवत्ता, सुझाव, सुरक्षा, पर्यावरण, क्रेडा आदि क्षेत्रों में भी भिलाई का नाम देश में प्रसिद्ध है।

ऐलुमिनियम उद्योग

छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट के प्रचुर भण्डार, विद्युत एवं जल की पर्याप्तता के फलस्वरूप भारत सरकार ने कोरबा में भारत ऐलुमिनियम कम्पनी (बालकों) नामक एक कारखाना स्थापित किया। इसके लिए कोरबा में एक ताप विद्युत केन्द्र भी स्थापित किया गया। यहां वर्ष 1973 से उत्पादन प्रारम्भ हुआ। यहां बॉक्साइट से ऐलुमिना निकालने का संयन्त्र हंगोरियन सरकार की सहायता से तथा ऐलुमिना से ऐलुमिनियम निकालने का संयन्त्र रूसी सरकार की सहायता से स्थापित किया गया है। बालकों द्वारा बनाई जा रही मिश्र धातु का उपयोग अन्तरिक्ष उपकरण तथा सामरिक महत्व के उपकरण बनाने में किया जाता है।

भारत ऐलुमिनियम कम्पनी लिमिटेड (कोरबा) की स्थापना 27 नवम्बर, 1965 को हुई थी।

भारत ऐलुमिनियम कम्पनी, लिमिटेड, कोरबा

वाल्को संयन्त्र की स्थापित क्षमता एक लाख टन वार्षिक ऐलुमिनियम उत्पादन की थी, जो वर्तमान समय में आधुनिकीकरण के लिए बन्द किया जा चुका है।

सीमेन्ट उद्योग

छत्तीसगढ़ में सीमेन्ट के लिए कच्चे माल (चूना पत्थर, कोयला तथा जल) की प्रयुरता है। राज्य में सीमेन्ट के प्रमुख कारखाने निम्नलिखित हैं :

- माठर सीमेन्ट वर्क्स (सीमेन्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया, मांठर, रायपुर) में वर्ष 1970-71 में स्थापित।

Scanned by PDF Scanner

- एसोसिएटेड सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, जामुल (दुर्ग), वर्ष 1965 में स्थापित।
- सेंचुरी सीमेन्ट, बैकुण्ठपुर (रायपुर), वर्ष 1973 में स्थापित।
- सीमेन्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया, अलकतरा (जांजगीर) वर्ष 1982 में स्थापित।
- रेमण्ड सीमेन्ट, गोलनगर (बिलासपुर), वर्ष 1983 में स्थापित।
- मोदी सीमेन्ट (रायगढ़)।
- जे. के. सीमेन्ट लि., नेवरा तिल्दा (रायपुर), वर्ष 1975 में स्थापित।
- एल. एण्ड टी. सीमेन्ट कम्पनी।
- लाफार्ज इण्डिया लिमिटेड।
- गेसिस सीमेन्ट।
- गुजरात अम्बुजा सीमेन्ट इत्यादि।

सूती वस्त्र उद्योग

राज्य में सूत कातने तथा कपड़ा बुनने दोनों के उद्योग हैं। सूत कातने के कारखाने प्रमुखतः राजनांदगांव, उरला तथा लालकदम में। कपड़ा बनाने का कारखाना राजनांदगांव में है। बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स लि. नामक कारखाना वर्ष 1862 में स्थापित किया गया था। इसके अतिरिक्त सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केन्द्र बिलासपुर मुंगेली, तरवतपुर, गनियारी, रानीगांव, चन्दनपुर, अलकतारा, चाम्पा, सिवनी, जैपुर, सक्ती आदि है।

रसायन उद्योग

वर्ष 1961 में कुम्हारी (रायपुर-भिलाई के बीच) में धरम सिंह मोरारजी केमिकल कम्पनी की स्थापना हुई। इस कम्पनी में सुपर फॉस्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, ऐलुमिनियम सल्फेट, क्लोरी सल्फेट इत्यादि का उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में बी. ई. सी. फर्टिलाइजर्स नामक कम्पनी भी कार्यरत हैं।

रेशम उद्योग

राज्य में रेशम उद्योग विकसित अवस्था में है। छत्तीसगढ़ में टसर के कैकून पालने का परम्परागत उद्योग है जिसमें टसर और कोसा रेशम का कपड़ा बनया जाता है। बस्तर में कोसा अनुसन्धान केन्द्र तथा रेशम विकास परियोजना बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा में परिचालित है। इसके अतिरिक्त चांपा, बालोद, मुंगेली, चन्द्रपुर टसर कपड़ा बनाने के महत्वपूर्ण केन्द्र हैं।

प्रदेश में टसर कृषि पालन का कार्य परम्परागत है। संचालित योजना के माध्यम से ग्रामीण अंचल में निवास कर रहे स्थानीय निर्धन, विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ राज्य को तीन प्रकार की रेशम पजातियों टसर, मलबरी एवं इरी के उत्पादन का गौरव प्राप्त है।

हथकरघा उद्योग

छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हाथकरघा उद्योग को रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में यह उद्योग हाथकरघा बुनाई के परम्परागत धरोहर को अक्षुण्ण बनाए रखने के साथ ही बुनकर समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक परम्पराओं को प्रतिविम्बित करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 18,598 करघों पर लगभग 55,774 बुनकर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में संलग्न हैं। राज्य में जांजगीर-चाम्पा एवं रायगढ़ जिला कोसा वस्त्र उत्पादक क्षेत्र हैं तथा रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, महासमुन्द, कबीरधाम, धमतरी, अम्बिकापुर एवं जगलपुर के परम्परागत वस्त्र राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य में बुनकर समितियों की संख्या 301 कार्यशील करघों की संख्या 19,725 तथा बुनाई रोजगार में लगे व्यक्तियों की संख्या 52,175 है।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की गति तीव्र करने के उद्देश्य से पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम रायपुर को छत्तीसगढ़ स्टेट इण्ड्रस्टियल डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में गठित किया गया है। इस निगम के रायपुर, बिलासपुर तथा दुर्ग में औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित हैं।

Scanned by PDF Scanner

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सी. एस. आई. डी. सी.) की स्थापना राज्य निर्माण के पश्चात् वर्ष 2001 में मध्य प्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, रायपुर को परिवर्तित कर किया गया है।

राज्य में विभिन्न औद्योगिक संवर्धन गतिविधियों यथा—प्रचार-प्रसार अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, लघु उद्योगों के विपणन में सहायक की भूमिका, कच्चामाल आपूर्ति, शासकीय उद्योगों के संचालन, पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश वित्त निगम के ऋणों की वसूली, प्रतिवर्ष राज्य की राजधानी में राज्योत्सव के आयोजन में सहभागिता एवं नई दिल्ली में भारत-अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्य की ओर से भाग लेने का कार्य सीएसआईडीसी द्वारा किया जाता है।

उत्पाद आधारित औद्योगिक पार्क

पार्क	स्थल
हर्बल व मेडिसिनल पार्क एवं फूड पार्क	बंजारी-बगोद (धमतरी)
जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क (एसईजेड)	नया रायपुर (ग्राम तूता)
मेटल पार्क	रायपुर
इंजीनियरिंग पार्क	भिलाई
अपैरल पार्क	भनपुरी
पॉली पार्क	तिल्दा
प्रस्तावित नवीन औद्योगिक क्षेत्र	
1. ग्राम परसिया, मंगुली 2. ग्राम सेलर, बिलासपुर।	

छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड

छत्तीसगढ़ राज्य में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अंचलों में खादी तथा ग्रामोद्योगों का विकास कर उन्नत तकनीक के द्वारा प्रशिक्षण कारीगरों एवं दस्तकारों तथा सूत कातने वाली महिलाओं को रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करना है। बोर्ड द्वारा प्रमुख रूप से निम्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं :

- मुख्यमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम;
- प्रधानमन्त्री रोजगार सृजन कार्यक्रम;
- कारीगर प्रशिक्षण;
- खादी उत्पादन;
- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामोद्योग शिल्प केन्द्र;
- विभागीय खादी ग्रामोद्योग विक्रय भण्डार।

वन एवं कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योग

राज्य के जगदलपुर, कोण्डागांव तथा नारायणपुर में वनों पर आधारित अनेक उद्योग हैं। लकड़ी चीरने का उद्योग रायपुर, धमतरी, महासमुन्द, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, राजनांदगांव आदि क्षेत्रों में है। सरगुजा में कत्था उत्पादन का कार्य, रायपुर में ब्रिस्टल ब्राण्ड की सिगरेट तथा दुर्ग में पनामा ब्राण्ड की सिगरेट बनाने का कार्य होता है। राज्य में बीड़ी बनाने का कार्य भी होता है।

छत्तीसगढ़ में धान से चावल निकालने का कार्य प्रमुख रूप से रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग आदि जिलों में होता है। खाद्य तेल के कारखाने बिलासपुर सिरगट्टी, बैकुण्ठ, अंजीरा, उरला, फाफडीह, नेबरा, दुर्ग आदि क्षेत्रों में है। रायपुर मैदा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।

Scanned by PDF Scanner

राज्य के प्रमुख उद्योग : एक दृष्टि में

क्र.	जिला	औद्योगिक स्थल	स्थापित उद्योग
1.	**बिलासपुर**	(1) बिलासपुर	कांच उद्योग, बर्तन उद्योग, कनोई पेपर मिल, बीड़ी उद्योग, बी. ई. सी. फर्टिलाइजर्स, दाल मिल, प्लास्टिक उद्योग, फ्लोर मिल, जूट उद्योग, ऑयल मिल, केमिकल उद्योग, इन्जीनियरिंग उद्योग, स्टील उद्योग, लाख उद्योग, साबुन उद्योग, आदि।
		(2) विल्हा	फ्लोर मिल, दाल मिल, राइस मिल, लाख उद्योग।
		(3) तखतपुर	राइस मिल।
		(4) कोंटा	फर्नीचर उद्योग, राइस मिल, लाख उद्योग।
2.	**मुंगेली**	(1) मुंगेली	फ्लोर मिल, दाल मिल, राइस मिल, फर्नीचर उद्योग, साबुन उद्योग, आदि।
		(2) लोरमी	दाल मिल, फर्नीचर उद्योग, राइस उद्योग, आदि।
3.	**जांजगीर-चांपा**	(1) चांपा	आयरन एण्ड स्टील मिल, पेपर मिल, कोसा उद्योग, राइस मिल, आदि।
		(2) जांजगीर	इन्जीनियरिंग उद्योग, राइस मिल, फ्लोर मिल, ईंट उद्योग, आदि।
		(3) गोपाल नगर	सीमेण्ट उद्योग।
		(4) अकलतरा	फ्लोर मिल, सीमेण्ट उद्योग, दाल मिल, राइस मिल।
4.	**कोरबा**	(1) कोरबा	ताप विद्युत् संयन्त्र, ऐलुमिनियम उद्योग (बाल्को), वायर उद्योग, फर्नीचर उद्योग, केमिकल उद्योग, साबुन उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, कोसा उद्योग, वायर उद्योग, इन्जीनियरिंग उद्योग, आदि।
		(2) कटघोरा	ऑयल मिल, फर्नीचर उद्योग, राइस मिल, दाल मिल।
5.	**रायगढ़**	(1) रायगढ़	सीमेण्ट उद्योग, जूट उद्योग, केबल उद्योग, दाल मिल, फ्लोर मिल, ऑयल मिल, कोसा उद्योग, लाख उद्योग।
		(2) खरसिया	ऑयल मिल, राइस मिल, दाल मिल, बीड़ी उद्योग, आदि।
6.	**जशपुर**	(1) जशपुर	फर्नीचर उद्योग एवं जूट निर्मित सामग्री उद्योग, आदि।
		(2) कुनकुरी	कोसा उद्योग, फ्लोर मिल, लाख उद्योग।
		(3) पत्थलगांव	ऑयल मिल, राइस मिल एवं दाल मिल, आदि।
7.	**सरगुजा**	(1) अम्बिकापुर	सीमेण्ट पाइप उद्योग, ऑयल मिल, इन्जीनियरिंग उद्योग, साबुन उद्योग एवं लकड़ी निर्मित सामग्री उद्योग, आदि।
		(2) मैनपाट	राइस मिल, दाल मिल, ईंट उद्योग, कोसा उद्योग एवं ऊनी वस्त्र उद्योग, आदि।
8.	**कोरिया**	(1) मनेन्द्रगढ़	फ्लोर मिल, राइस मिल, इन्जीनियरिंग उद्योग, फर्नीचर उद्योग, आदि।
		(2) बैकुण्ठपुर	फ्लोर मिल, राइस मिल, इन्जीनियरिंग उद्योग, लाख उद्योग एवं फर्नीचर उद्योग, आदि।
9.	**रायपुर**	(1) उरला एवं वीरगांव (रायपुर)	सीमेण्ट उद्योग, स्टील उद्योग, ऑयल मिल, केमिकल उद्योग, इन्जीनियरिंग उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, बेकरी।
		(2) मांढर	सीमेण्ट उद्योग।
		(3) तिल्दा	फ्लोर मिल, ऑयल मिल, दाल मिल, राइस मिल।
		(4) भाटापारा	रसायन उद्योग, राइस मिल, चर्म उद्योग, आदि।
10.	**महासमुन्द**	महासमुन्द	फ्लोर मिल, राइस मिल, दाल मिल, ऑयल मिल, फर्नीचर उद्योग, इन्जीनियरिंग उद्योग, स्टील उद्योग।
11.	**धमतरी**	धमतरी	फ्लोर मिल, ऑयल मिल, राइस मिल, दाल मिल, पत्थर उद्योग, स्टील उद्योग, इन्जीनियरिंग उद्योग।
12.	**दुर्ग**	(1) भिलाई	भिलाई स्टील प्लान्ट, सीमेण्ट उद्योग, केबल उद्योग, रसायन उद्योग, लौह उद्योग, बेकरी, औषधि उद्योग।
		(2) दुर्ग	दाल मिल, राइस मिल, ऑयल मिल, इन्जीनियरिंग उद्योग, साबुन उद्योग, सुगन्धि उद्योग।

Scanned by PDF Scanner

क्र.	जिला	औद्योगिक स्थल	स्थापित उद्योग
13.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	दाल मिल, स्टील उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, फ्लोर मिल, फाइबर उद्योग, इन्जीनियरिंग उद्योग।
14.	कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा)	फ्लोर मिल, राइस मिल, दाल मिल, ऑयल मिल, इन्जीनियरिंग उद्योग, फर्नीचर उद्योग।
15.	बस्तर	जगदलपुर	सीमेण्ट उद्योग, स्टील उद्योग, ऑयल मिल, लकड़ी उत्पाद उद्योग, कोसा उद्योग, टाइल्स उद्योग।
16.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	राइस मिल, ऑयल मिल, फ्लोर मिल, लाख उद्योग, फर्नीचर उद्योग, इन्जीनियरिंग उद्योग।
17.	कांकेर	कांकेर	फ्लोर मिल, ऑयल मिल, दाल मिल, फर्नीचर उद्योग, इन्जीनियरिंग उद्योग, लाख उद्योग, आदि।

राज्य में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र तथा विकास निगम द्वारा स्थापित प्रमुख उद्योग

क्र.	उद्योग	स्थापना वर्ष	विवरण
1.	भिलाई लौह-इस्पात इकाई, दुर्ग	1955	कच्चा लोहा, इस्पात आदि
2.	भारत ऐलुमिनियम कम्पनी लिमिटेड, कोरवा	1965	ऐलुमिनियम
3.	दक्षिण-पूर्व रेलवे वैगन वर्कशॉप, रायपुर	1966	मालगाड़ी के डिब्बों की मरम्मत
4.	मांठर सीमेन्ट वर्क्स, रायपुर	1970-71	पोर्टलैण्ड सीमेन्ट
5.	बंगाल-नागपुर कॉटन मिल्स लिमिटेड, राजनांदगांव	1862	सूती वस्त्र एवं सूत
6.	साउथ ईस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, बिलासपुर	1986-87	कोयला
7.	कोरवा सुपर थर्मल पॉवर स्टेशन, कोरवा	1978	विद्युत्
8.	भिलाई रिफैक्ट्रीज प्लाण्ट, दुर्ग	1980	अग्नि सह ईंट
9.	कृषि उपकरण भिलाई, दुर्ग	—	कृषि उपकरण
10.	रायगढ़ पेपर एवं बॉण्ड मिल, रायगढ़	—	स्टॉवोर्ड
11.	पंजार संयन्त्र, रायपुर	—	पोषण आहार
12.	फल सम्वर्द्धन, रायगढ़	—	स्क्वैश, केचप, पेय
13.	काजू सम्वर्द्धन इकाई, बस्तर	—	काजू संवर्द्धन

खनिज एवं खनिज आधारित उद्योग

महत्वपूर्ण तथ्य

- वर्ष 2022-23 (अग्रिम) में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (स्थिर भाव) में खनिज क्षेत्र का योगदान 29,307 करोड़ अनुमानित।
- वर्ष 2021-22 में खनिजों से राजस्व आय ₹ 12,305.38 करोड़ रही।
- वर्ष 2021-22 में राज्य की खनिज उत्पादन का मूल्य अखिल भारत स्तर पर उत्पादन मूल्य का 17.34 प्रतिशत रहा।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्य खनिज से ₹ 11,362.24 करोड़ आय हुई, वहीं गौण खनिज से इसी अवधि में ₹ 252.85 करोड़ आय हुई है।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा क्रमशः कोयला, उत्पादन में 19.80%, लौह-अयस्क में 16.27%, चूना पत्थर में 10.67%, बॉक्साइट में 04.30% तथा टिन अयस्क में 100% रहा।
- कुल राजस्व आय में 97 प्रतिशत हिस्सा मुख्य खनिज का एवं 3 प्रतिशत गौण खनिज का हिस्सा है।
- राज्य सरकार द्वारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्र के विकास हेतु 28 जिलों में जिला खनिज संस्थान न्यास का गठन किया गया।

स्रोत : छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, 2022-23

Scanned by PDF Scanner

छत्तीसगढ़ की भूमि औद्योगिक खनिजों से परिपूर्ण है। इन खनिजों की गुणवत्ता तथा इनके भण्डार उद्यमियों को प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करते हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 (माह मार्च तक) में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा क्रमशः कोयला उत्पादन में 19.80%, लौह-अयस्क में 16.27%, चूना पत्थर में 10.67%, बॉक्साइट में 4.30% तथा टिन अयस्क में 100% रहा।

कोयले के अधिक उत्पादन के कारण छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में देश का महत्वपूर्ण केन्द्र बन रहा है। इसी तरह यह राज्य विद्युत् गहन खनिज प्रसंस्करण एवं पुनः अग्र-एकीकृत उद्योग यथा लौह एवं इस्पात, ऐलुमिनियम एवं सीमेन्ट उद्योग इत्यादि का केन्द्र भी बन रहा है।

राज्य में अलेक्जेंडराइट, सोना-चांदी जैसे बहुमूल्य खनिज पाये जाते हैं। यहां कुल मिलाकर 28 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं।

खनिज उत्पादन का मूल्य

छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य वर्ष 2012-13 में अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का 7.9 प्रतिशत रहा, जो कि वर्ष 2013-14 में बढ़कर 8.7 प्रतिशत हो गया, परन्तु वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में यह घटकर 8.2 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2016-17 में छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का 9.6 प्रतिशत था वर्ष 2017-18 में यह 15.66 प्रतिशत रहा। वर्ष 2021-22 में राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य अखिल भारत स्तर पर उत्पादन मूल्य का 17.34 प्रतिशत रहा।

वर्तमान में प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, लौह-अयस्क, बॉक्साइट एवं टिन अयस्क, हीरा, स्वर्ण है। इन खनिजों के अतिरिक्त कोरण्डम, एलेक्जेंड्राइट, कार्नरूपेन, क्वार्टमाइट, क्ले, फ्लोराइट, बेरिल, एण्डालूसाइट, कायनाइट, सिलिमेनाइट, टॉस्क, सोपस्टोन, लेपीडोलाइट, गार्नेट, एम्बीलीगोनाइट आदि है। प्रदेश में पाई जाने वाली विभिन्न चट्टानों ग्रेनाइट, फ्लैगस्टोन (फर्शी पत्थर), मार्बल आदि आकाशीय पत्थर प्रचुर मात्रा में हैं।

छत्तीसगढ़ को सामरिक महत्व के खनिज टिन अयस्क के उत्पादन में सम्पूर्ण राष्ट्र में एकाधिकार प्राप्त है। राज्य में धातु श्रेणी बॉक्साइट का भण्डार है। **भारत का 23.24 प्रतिशत आयरन-अयस्क इसी राज्य से प्राप्त होता है।** विश्व की बेहतरीन लौह-अयस्क खदानों में से एक **बैलाडीला** का लौह-अयस्क जापान को निर्यात किया जाता है। लौह-अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है।

छत्तीसगढ़ में देश का 16.10 प्रतिशत कोयला भण्डार है। इसका झारखण्ड और ओडिशा के बाद तीसरा स्थान है। छत्तीसगढ़ में देश का 6.6 प्रतिशत लाइम स्टोन भण्डार है।

छत्तीसगढ़ में कोयला, बॉक्साइट, डोलोमाइट, चूना पत्थर एवं लौह-अयस्क का उत्पादन वृहत् पैमाने पर हो रहा है। प्रदेश क्वार्ट्जाइट एवं डोलोमाइट के उत्पादन में द्वितीय व लौह-अयस्क उत्पादन में तृतीय स्थान पर है।

हीरा भण्डार

किम्बरलाइट के विशाल भण्डार रायपुर जिले के पायलीखण्ड तथा बेहराडीह और बस्तर जिले के तोकापाल में हैं। इन भण्डारों से हीरों का खनन शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ की विश्व हीरा व्यापार में भागीदारी की सम्भावना है।

रायपुर जिले के देवभोग ब्लॉक में एक अन्य बहुमूल्य खनिज अलेक्जेंड्राइट उपलब्ध है।

क्वार्ट्जाइट

क्वार्टजाइट राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़, दुर्ग जिले के दानीटोला तथा कांकेर और रायगढ़ जिले में पाए जाते हैं।

यूरेनियम

आण्विक खनिज यूरेनियम के भण्डार सरगुजा और राजनांदगांव जिले में पाए गए हैं।

लौह-अयस्क

दंतेवाड़ा (बैलाडीला), बस्तर (छोटे डोंगर), कांकेर (रावघाट, चारगांव, मेटाबोदली एवं हाहालद्दी), राजनांदगांव (बोरिया टिब्बू) एवं दुर्ग (दल्ली राजहरा) में लौह-अयस्क का 2335.73 मिलियन टन का भण्डार है।

Scanned by PDF Scanner

दंतेवाड़ा जिले की बैलाडीला पहाड़ियों के लौह-भण्डार विश्व के सर्वश्रेष्ठ लौह-अयस्क भण्डारों में से एक हैं। यहां लौह-अयस्क का खनन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा किया जा रहा है तथा इसका उपयोग विशाखापट्टनम लौह-संयन्त्र में करने के अतिरिक्त जापान को निर्यात भी किया जा रहा है। बस्तर क्षेत्र में लौह-अयस्क के तीन प्रमुख भण्डार हैं—बैलाडीला, रावघाट और चारगांव-कोण्डा पारवा।

लौह-अयस्क लौह तथा स्पंज आयरन संयन्त्रों के लिए उपयुक्त हैं।

स्थापित उद्योग—सार्वजनिक क्षेत्र में (भिलाई स्टील प्लाण्ट) कार्यरत, नगरनार में निर्माणाधीन तथा आधा दर्जन इस्पात संयन्त्र निजी क्षेत्र में।

चूना पत्थर

छत्तीसगढ़ में सभी श्रेणी के चूना पत्थर के 8,225 मिलियन टन भण्डार उपलब्ध है, जो कि राष्ट्रीय भण्डार का 4.84% है।

रायपुर, दुर्ग, कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर, जांजगीर, रायगढ़ एवं बिलासपुर जिलों में चूना पत्थर के 5,003 मिलियन टन के भण्डार उपलब्ध हैं, जो सीमेण्ट बनाने एवं लौह संयन्त्रों के लिए उपयुक्त हैं।

स्थापित उद्योग—9 बड़े एवं 12 छोटे सीमेन्ट संयन्त्र।

बॉक्साइट

छत्तीसगढ़ में 198 मिलियन टन बॉक्साइट भण्डार उपलब्ध है, जो कि देश के बॉक्साइट भण्डार का 6.44 प्रतिशत है।

सरगुजा (मैनपाट एवं जमीरापाट), जशपुर (पेण्ड्रापाट पठार), कोरबा (फुटका पहाड़), कबीरधाम (बोदई दलदली) एवं कांकेर-बस्तर (केशकाल एवं आसना तारापुर) में बॉक्साइट के 96 मिलियन टन के भण्डार उपलब्ध हैं।

स्थापित उद्योग—बालको में स्थित ऐलुमिनियम प्लाण्ट एवं केशकाल में स्थित केल्सिनेशन प्लाण्ट। संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम भारत ऐलुमिनियम कम्पनी (बाल्को) कोरबा तथा मैनपाट क्षेत्र से बॉक्साइट का खनन कर रही है।

डोलोमाइट

बस्तर, बिलासपुर, जांजगीर, दुर्ग एवं रायपुर जिले में डोलोमाइट के 606 मिलियन टन के भण्डार उपलब्ध हैं, जो ब्लास्ट फरनेस में फ्लक्स के रूप में उपयुक्त हैं।

स्थापित उद्योग—भिलाई तथा बोकारो सहित अनेक इस्पात संयन्त्रों में।

टिन अयस्क

दंतेवाड़ा एवं बस्तर जिले में 15,344 टिन धातु के भण्डार उपलब्ध हैं। **देश में टिन अयस्क का एकमात्र उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है।** दंतेवाड़ा जिले में बचेली, कटेकल्याण, तोंगपाल आदि में इसके भण्डार हैं।

स्थापित उद्योग—टिन स्मेल्टिंग प्लाण्ट।

स्वर्ण

रायपुर जिला (सोनाखान क्षेत्र), जशपुर जिला (तपकरा-बरजोर क्षेत्र), कांकेर जिला (मिचगांव कच्चे क्षेत्र सोनादेही) रायगढ़ जिला (सोनझरिया), महासमुन्द जिले तथा जशपुर में ईब एवं मैनी, बस्तर के सबरी नदी क्षेत्र में स्वर्ण भण्डार उपलब्ध हैं।

उपयोग—स्वर्ण आभूषण आधारित उद्योग आदि।

कोयला

छत्तीसगढ़ राज्य में कोयले के 39,545 मिलियन टन भण्डार हैं, जो कि राष्ट्र के कोयला भण्डार का 16.10 प्रतिशत है।

सरगुजा, कोरिया, कोरबा एवं रायगढ़ जिलों के 12 कोल फील्ड में 38,135 मिलियन टन कोयला भण्डार उपलब्ध है। ऊर्जा संयन्त्र, लौह एवं स्पंज आयरन संयन्त्र हेतु उपयुक्त हैं।

स्थापित उद्योग—एन.टी.पी.सी. तथा सी.एस.ई.बी. के बिजली घर, तथा अनेक केप्टिव पावर प्लाण्ट।

कोरण्डम

बीजापुर जिले की भोपालपट्टनम तहसील में दंतेवाड़ा जिले के धन्गोल तथा कुचनूर में, बीजापुर तहसील के सेन्द्रा, उसूर तथा चेरापल्ली, एवं दंतेवाड़ा जिले में सुकमा जिले के ही सोनाकूकानार में खनिज भण्डार उपलब्ध हैं जो सेमीप्रीशियस एवं एमरी उद्योग में उपयुक्त हैं।

स्थापित उद्योग—बस्तर जिले में 2 कोरण्डम कटिंग/पालिशिंग उद्योग स्थापित।

Scanned by PDF Scanner

अन्य जेमस्टोन

गारनेट, बेरिल, रोजी क्वार्ट्ज, एमिथिस्ट। गारनेट-रायपुर, बस्तर जिले में तथा बेरिल रोजी क्वार्ट्ज एवं एमिथिस्ट जशपुर जिले में उपलब्ध हैं।

आकारीय पत्थर

रायपुर, महासमुन्द, बिलासपुर, जांजगीर, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, कबीरधाम, आदि जिलों में उपलब्ध हैं, जो भवन निर्माण, स्मारक एवं अन्य आवासीय उपयोग हेतु उपयुक्त है।

कार्यरत उद्योग—प्रदेश में लगभग 75 कटिंग पॉलिशिंग इकाइयां कार्यरत हैं।

मुख्य खनिजों का उत्पादन—राज्य में मुख्य खनिज क्रमशः कोयला, लौह-अयस्क, चूना पत्थर, टिन तथा बॉक्साइट है। राज्य टिन का एक मात्र उत्पादक है। विगत वर्षों में मुख्य खनिज का उत्पादन का विवरण अग्र तालिका में दर्शाया गया है :

मुख्य खनिज के उत्पादन का वर्षवार विवरण (हजार टन में)

मुख्य खनिज	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कोयला	1,39,722	1,42,514	1,61,893	1,57,064	1,58,409	1,54,120
लौह-अयस्क	31,068	34,856	34,945	34,724	35,839	41,313
चूना पत्थर	31,919	35,154	42,411	42,699	40,378	41,888
बॉक्साइट	1,954	1,901	1,532	1,566	715	968
टिन (कि. ग्रा.)	12,120	16,757	21,211	15,530	16,865	26,383

स्रोत : छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, 2022-23

खनिज पदार्थ : एक दृष्टि में

क्र.	खनिज का नाम	जिला	उपलब्ध भण्डार लाख टन में	प्राप्ति स्थल
1.	चूना पत्थर	रायपुर	18,775.2	मांढ़र, सिलयारी, तिल्दा बहेसर, सोनाडीह खान, हिरना, झीपन, चंडी, गैतरा, मल्दि गोबार, मोहरा, पौनी-खौना, पौंसरी इत्यादि।
		दुर्ग	5,180.8	जामुल, ढौर, नंदिनी खुंदिनी, सेमरिया, अछौली, माटरा ओटा आदि।
		राजनांदगांव	250	भाटागांव-चारभाटा आदि
		कबीरधाम	130	रणजीतपुर क्षेत्र
		बस्तर	3,180	पोकनार बराजी, रायकोट, देवरा, पाल, मांझी डोंगरी, जूनागढ़
		बिलासपुर	5,380	चिलहाटी, तेंदुआ
		जांजगीर	2,550	आरमेंटा, अकलतरा, बारगांव में ऊभाटा
		रायगढ़	1,370	खरसिया, सारंगगढ़
2.	डोलोमाइट	रायपुर	140	भाटापारा-टिकुलिया
		दुर्ग	280	कोदवा
		बस्तर	450	तिरिया-मचकोटा
		जांजगीर	5,190	हिर्री क्षेत्र, बेलपान धूमा, बाटादार, मदनपुर, लगरा
3.	बॉक्साइट	कबीरधाम	67	बोदई-दलदली
		कोरबा	30	फुटका पहाड़
		बस्तर	103	किरीत गांव, आसना क्षेत्र, बुधियार मारी, कुदारवाही, केशकाल
		सरगुजा	670	मैनपाट, जभीरा पाट क्षेत्र
		जशपुर	80	पेंडारापाट क्षेत्र, सामरीपाट इत्यादि

Scanned by PDF Scanner

क्र.	खनिज का नाम	जिला	उपलब्ध भण्डार लाख टन में	प्राप्ति स्थल
4.	कोयला	सरगुजा	36,580.3	सोनहट, झिलमिली, विश्रामपुर, रामकोला-तातापानी
		रायगढ़	1,53,581.7	मांड-रायगढ़ क्षेत्र
		कोरबा	1,51,432.9	कोरबा प्रक्षेत्र
		कोरिया	12,154.1	सोहागपुर (आंशिक), चिरमिरी, कोरेगढ़ इत्यादि
		दंतेवाड़ा	13,435.3	बैलाडीला क्षेत्र
5.	लौह अयस्क	कांकेर	8,081.5	रावघाट, चारगांव, मेटाबोदेली, हाहालद्दी, आरीडोंगर
		बस्तर	353.1	छोटे डोंगर
		दुर्ग	1,647.4	दल्ली-राजहरा
		राजनांदगांव	100	बोरिया, टिब्बू
6.	क्वार्टजाइट	दुर्ग	200	दानीटोला
		बस्तर	50	डिलमिली
		राजनांदगांव	प्रमाणीकरण नहीं किया गया है	पीपलाकछार
7.	टिन अयस्क	रायगढ़	120	उर्दना, रामपुर, चिरईपानी क्षेत्र
		दंतेवाड़ा	2,889	तोंगपाल क्षेत्र, कटेकल्याण क्षेत्र, पाढ़ापुर बचेली
8.	कोरंडम	दंतेवाड़ा	25 टन	भोपालपट्टनम
9.	स्वर्ण धातु	रायपुर	2,780 किलोग्राम	ईब-मैनी नदियों के रेत में
10.	हीरा	रायपुर	भण्डार का प्रमाणीकरण नहीं किया गया है।	मैनपुर क्षेत्र (बेहराडीह, पायलीखण्ड, जांगड़ा कोदीमाली)
11.	एलेक्जेन्ड्राइट	रायपुर	भण्डार का प्रमाणीकरण नहीं किया गया है।	देवभोग क्षेत्र, (सेंदमुड़ा, लाटापारा)
12.	गार्नेट	रायपुर	16 टिन भण्डार प्रमाणीकरण नहीं किया गया है।	धूपकोट, गोहेकला
		दंतेवाड़ा		भोपालपट्टनम

गौण खनिजों का उत्पादन

वर्ष 2021-22 में राज्य में ₹ 1,02,438.63 लाख मूल्य के गौण खनिजों का उत्पादन हुआ जिसका विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है :

गौण खनिज के उत्पादन एवं मूल्य का विवरण

(मात्रा टन में एवं मूल्य ₹ लाख में)

खनिज के प्रकार	2018-19 उत्पादन		2019-20 उत्पादन		2020-21 उत्पादन		2021-22 उत्पादन	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
पत्थर	43,01,776	13,765.16	30,66,816	9,813.81	35,98,556	11,695.31	42,94,037	13,955.56
मिट्टी	17,10,734	3,763.61	10,66559	3,089.91	1,92,769	578.31	27,21,417	6,259.15
मुरूम	55,09,403	12,120.69	45,98,737	10,117.22	36,17,266	8,319.71	74,52,384	17,140.33
फर्शी पत्थर	2,14,757	633.53	1,68,757	497.83	79,66,596	18,323.17	1,73,261	519.75
ग्रेनाईट (घ. मी.)	888	26.61	1,051	31.52	789	24.45	945	29.27
चूना पत्थर	1,10,50,829	42,545.68	82,52,930	31,773.79	11,17,1679	44,128.12	11,018847	43,524.38
डोलोमाईट	43,83,177	17,313.55	37,38,411	14,766.72	50,40,087	20,160.35	51,01,207	20,404.80
क्वार्टज	52,167	224.31	49,067	210.99	34,757	356.26	56,094	246.81
क्वार्टजाइट	30,429	311.89	97,650	1000.91	27,667	121.73	34,985	358.58

स्रोत : छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, 2022-23

Scanned by PDF Scanner

विद्युत आपूर्ति का विकास

महत्वपूर्ण तथ्य

- विद्युत क्षेत्र (गैस एवं पानी आपूर्ति सहित) की वर्ष 2022-23 (A) में भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में ₹ 29,64,205 लाख है।
- राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता (नवम्बर 2000) में 1,360 मेगावाट से बढ़कर 2,984.70 (अक्टूबर 2022 तक) मेगावाट हो गई है। इस प्रकार 22 वर्षों में स्थापित क्षमता में 119% की अभिवृद्धि हुई है।
- वर्ष 2020-21 में वितरण हानि का प्रतिशत 18.12 रहा।
- वर्ष 2021-22 के अन्त में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 60 लाख 24 हजार है, जो वर्ष 2020-21 की तुलना में 1.02 प्रतिशत अधिक है।
- हॉफ बिजली बिल स्कीम अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में सितम्बर 2021 तक राज्य के लगभग 41.94 लाख उपभोक्ताओं को ₹ 548.77 करोड़ की छूट दी जा चुकी है।
- वर्ष 2021-22 में उपभोक्ताओं से विद्युत खपत एवं अन्य चार्ज के विरुद्ध ₹ 15,458.26 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया जो कि वर्ष 2020-21 में ₹ 13,294.53 करोड़ था।

स्रोत : छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, 2022-23

विद्युत ऊर्जा का सबसे सुगम साधन है। छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन वर्ष 1905 में प्रारम्भ हुआ। वर्ष 1930 तक निजी कम्पनियों के देशी रियासतों के अधीन छोटे-छोटे विद्युत गृह कार्यरत थे। 10 दिसम्बर, 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू किया गया तथा इसका कार्य 'मध्य भारत विद्युत मण्डल' को सौंप दिया गया। 15 नवम्बर, 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड का गठन किया गया तथा 19 अप्रैल, 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल का गठन हुआ।

(I) उत्पादन संकाय

1. **विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन**—मण्डल गठन के समय विद्युत उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता 1,360 मेगावाट थी, जो विगत 22 वर्ष में अर्थात् नवम्बर 2013 के अन्त में बढ़कर 2984.70 मेगावाट हो गई है।

विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन

क्र. सं.	विद्युत परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	परिचालन वर्ष
I.	**ताप विद्युत गृह :**		
1.	डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व	2 × 250 = 500	2007
2.	हसदेव ताप विद्युत गृह, कोरबा पश्चिम	4 × 210 = 840	1983-1986
3.	कोरबा पश्चिम विस्तार संयंत्र	1 × 500 = 500	2013
4.	अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह, मड़वा जांजगीर-चांपा	2 × 500 = 1,000	2016
	कुल ताप विद्युत क्षमता (मेगावाट)	**2,840**	
II.	**जल विद्युत गृह :**		
1.	मिनीमाता हसदेव-बांगो जल विद्युत गृह	3 × 40 = 120	1994, 1995
2.	जल विद्युत गृह गंगरेल	4 × 2.5 = 10	2004
3.	जल विद्युत गृह सिकासार	2 × 3.5 = 7	2006
4.	लघु जल विद्युत गृह (कोरबा पश्चिम)	2 × 0.85 = 1.70	2003, 2009
	कुल जल विद्युत क्षमता (मेगावाट)	**138.70**	
III.	**अन्य :**		
1.	भोरमदेव सह-उत्पादन, कबीरधाम	1 × 6 = 6	2006
	योग	**2,984.70 MW**	

Scanned by PDF Scanner

कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह की सभी इकाइयों को डीकमिशनिंग करने के पश्चात् वर्तमान में स्टेट सेक्टर की उत्पादन क्षमता 2,984.70 मेगा हो गयी। इस प्रकार राज्य स्थापना काल से 119 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 6 मेगावाट कोजन प्लांट को भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादन कारखाना मर्यादित को 31.3.2022 में निष्पादित अनुबन्ध के अन्तर्गत हस्तान्तरित कर दिया है।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी. ई. ए.) रिपोर्ट के अनुसार डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, कोरबा पूर्व ने देश के समस्त केन्द्र व राज्य के ताप विद्युत गृहों में 89.22 प्रतिशत पी. एल. एफ. के साथ **चतुर्थ स्थान** प्राप्त किया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में छ. स्टे. पा. ज. के. लिमि. को मैसर्स मिशन एनर्जी फाउन्डेशन महाराष्ट्र द्वारा "*Best Water Management-Ash handling*" 2021 में Winner अवार्ड प्राप्त हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1 × 500 मेगावाट कोरबा पश्चिम विस्तार को मैसर्स मिशन एनर्जी फाउन्डेशन महाराष्ट्र द्वारा "*Power Plant Performer* ≤ 500 *MW-Coal*" *in Thermal Power* 2021 *Category* में अवार्ड प्राप्त हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2 × 250 मेगावाट डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह को मैसर्स Council of Enviro Excellence, Mumbai द्वारा आयोजित *Energy Efficiency Awards* 2021 में "*Excellence in Energy Efficiency*" *in the category IPP Coal* 250 - 500 MW में Runner-up का अवार्ड प्राप्त हुआ है।

(1) **ऑक्जिलरी खपत**—ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में ऑक्जिलरी में प्रयुक्त होने वाली विद्युत, ऑक्जिलरी खपत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 7.81 प्रतिशत रही है।

(2) **प्रदत्त विद्युत**—वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ताप, जल एवं अन्य सह-उत्पादन विद्युत गृहों द्वारा ऑक्जिलरी खपत पश्चात उत्पादित विद्युत प्रणाली में कुल 16,582.51 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदत्त (यूनिट सेन्ट आउट) की गई इसमें ताप विद्युत उत्पादन द्वारा 16,147.57 मिलियन यूनिट, जल विद्युत उत्पादन द्वारा 430.19 मिलियन यूनिट तथा अन्य (सह-उत्पादन) द्वारा 4.749 मिलियन यूनिट प्रदत्त विद्युत रही।

(II) पारेषण एवं वितरण की उपलब्धि

मण्डल द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पारेषण, उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली के उन्नयन के अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिनका संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है :

(1) **उपकेन्द्र निर्माण**—मण्डल के गठन वर्ष 2000 की स्थिति में उपकेन्द्रों तथा वितरण उपकेन्द्रों की कुल संख्या मात्र 29,940 थी। इनकी संयुक्त क्षमता 2,984 एम.व्ही.ए. थी जो कि बढ़कर वर्ष 2021-22 के अन्त की स्थिति में इनकी संयुक्त क्षमता 20,672 एम.व्ही.ए. हो गई है।

(2) **विद्युत लाइनों का निर्माण**—मण्डल गठन वर्ष 2000 की स्थिति में अति उच्चदाब की कुल विद्युत लाइनें 5,205.46 किमी थी, जो बढ़कर वर्ष 2021-22 में 1,50,754 किमी हो गई है।

(3) **पम्पों का ऊर्जीकरण**—राज्य गठन के पूर्व राज्य में मात्र 73,369 स्थायी कृषि पम्प विद्यमान थे, जबकि राज्य गठन के पश्चात् 22 वर्षों की अवधि में दिनांक 30-9-2022 की स्थिति में 4,25,369 अतिरिक्त कृषि पम्प कनेक्शनों का ऊर्जीकरण किया जा चुका है। जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में कुल 4,98,738 स्थायी कृषि पम्प उर्जीकृत हो गए हैं।

(4) **कृषक जीवन ज्योति योजना**—राज्य शासन द्वारा कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान किए जाने के उद्देश्य से इस योजना के अन्तर्गत पात्र कृषकों को 3 अश्वशक्ति तक कृषि पम्प के बिजली बिल में 6,000 यूनिट प्रति वर्ष एवं 3 से 5 अश्वशक्ति छूट अस्थाई कृषि पम्पों पर भी दी जाती है।

(5) **बी.पी.एल. (एकलबत्ती) कनेक्शन**—गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को बी.पी.एल. (एकलबत्ती) कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है। इस श्रेणी के उपभोक्ता को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध करायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की प्रारम्भिक 30 यूनिट की खपत पर कोई शुल्क नहीं है। इन बी.पी.एल. कनेक्शन धारियों के 30 यूनिट खपत के विद्युत देयक राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाती है।

Scanned by PDF Scanner

(6) **मुख्यमन्त्री शहरी विद्युतीकरण योजना**—मुख्यमन्त्री शहरी विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत प्रदेश के नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत विहीन क्षेत्रों में विद्युत लाइनों का विस्तार, विद्यमान अव्यवस्थित विद्युत लाइनों को पहुंच मार्गों के अनुरूप व्यवस्थित करना एवं वितरण ट्रांसफॉमरों को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित/उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करना, तंग गलियों एवं व्यस्तम मार्गों में सुरक्षा की दृष्टि से ओवर हेड अथवा अंडर ग्राउंड केबलों का उपयोग किया जाना, अधिक लाइन लास वाले क्षेत्रों में ए.बी. केबल लगाया जाना एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सभी परिवार को नि:शुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन उपलब्ध कराना आदि शामिल है।

(7) **मुख्यमन्त्री मजरा-टोला विद्युतीकरण योजना**—इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अविद्युतीकृत ग्राम एवं मजरे/टोले/बसाहटों का विद्युतीकरण किया जाना है, जो राज्य में चल रही किसी अन्य योजना तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, एकीकृत विद्युत विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में शामिल नहीं है, इसके अतिरिक्त इन ग्रामों/मजरे-टोले/बसाहटों के बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन भी प्रदान भी किया जा रहा है।

(8) **वितरण हानि**—वर्ष 2021-22 में वितरण हानि का प्रतिशत 18.12 रहा। जिसके प्राप्ति के लिए विभिन्न कार्य योजनाओं पर कार्यवाही जारी है।

(9) **विद्युत उपभोक्ता**—वर्ष 2021-22 के अन्त में कुल उपभोक्ताओं की संख्या 60 लाख 24 हजार है, जो वर्ष 2020-21 की तुलना में 1.02 प्रतिशत अधिक है। कुल उपभोक्ताओं की संख्या में से वर्ष 2021-22 के अन्त में बी.पी.एल. के 28.15 प्रतिशत घरेलू के 53.17 प्रतिशत, गैर घरेलू के 6.27 प्रतिशत, औद्योगिक श्रेणी के 0.61 प्रतिशत एवं कृषि हितग्राही उपभोक्ताओं का 8.19 प्रतिशत है।

(10) **विद्युत उपभोग का स्वरूप**—वर्ष 2021-22 में राज्य की समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं द्वारा कुल 25,161.29 मिलियन यूनिट विद्युत की खपत की गई जो कि विगत वर्ष 2020-21 की खपत से 1.07 प्रतिशत अधिक है। राज्य में विक्रय की गई बिजली में से 24.99 प्रतिशत घरेलू 6.23 प्रतिशत गैर-घरेलू 37.89 प्रतिशत औद्योगिक 19.21 प्रतिशत कृषि एवं 2.37 प्रतिशत सार्वजनिक उपभोग (जलकर एवं सड़क बत्ती) के मद में रहा। कुल खपत में से वर्ष 2021-22 में हितग्राही बी.पी.एल. उपभोक्ताओं की खपत 4.50 प्रतिशत एवं हितग्रही कृषि पम्प उपभोक्ताओं की खपत 19.21 प्रतिशत आंकी गई है, जो कि वर्ष 2020-21 में क्रमश: 6.05 एवं 25.26 प्रतिशत थी।

(11) **राजस्व संग्रहण**—वर्ष 2021-22 में समस्त प्रकार के उपभोक्ताओं से विद्युत खपत एवं अन्य चार्ज के विरुद्ध कुल ₹ 15,458.26 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया जो कि वर्ष 2020-21 में ₹ 13,294.53 करोड़ था।

परिवहन का विकास

महत्वपूर्ण तथ्य

- सितम्बर 2022 की स्थिति में राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 3,526 किमी. है।
- 'जवाहर सेतु योजना' अन्तर्गत पुलों का निर्माण कर पहुंचविहिन गांवों तक आवागमन हेतु कनेक्टीविटी की योजना है।
- परिवहन क्षेत्र (रेल के अतिरिक्त) की वर्ष 2022-23 (अग्रिम) भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में ₹ 5,13,150 लाख अनुमानित है।

स्रोत : छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण, 2022-23

राज्य में परिवहन के चारों संसाधनों—सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग तथा जल मार्ग की सुविधाएं तो सुलभ हैं, किन्तु उनका विस्तार अभी भी उपेक्षित है। राज्य में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी परिवहन के साधन उपलब्ध हैं। फिर भी राज्य के पहाड़ी तथा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन के साधन न्यूनतम अथवा प्राय: नाम-मात्र के ही हैं।

Scanned by PDF Scanner

सड़कें एवं पुल

छत्तीसगढ़ निर्माण के पश्चात् राज्य का लोक निर्माण विभाग सड़कों के उन्नतिकरण एवं पुलों के निर्माण कार्य में विशेष रूप से ध्यान दे रहा है। वर्ष 2021-22 में 2,777 किमी सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन कार्य किया गया जिसमें मिट्टीकरण, डामरीकरण, चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण के कार्य किए गए।

मुख्यमन्त्री सुगम सड़क योजना

इस योजना का उद्देश्य समस्त महत्वपूर्ण सार्वजनिक शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों को बारहमासी पहुंच मार्ग से जोड़कर लोक कल्याण एवं जनसुविधा के लिए सुगम बनाया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में 'मुख्यमन्त्री सुगम सड़क योजना' के अन्तर्गत कुल 3,371 मार्गों में से 1,302 कार्य पूर्ण किये गये।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के अन्तर्गत कुल 2,281 मार्गों में से 191 कार्य पूर्ण 424 कार्य प्रगति पर है।

रेलमार्ग

राज्य में रेलमार्ग का प्रसार एवं संचालन तो देश की स्वतन्त्रता से लगभग डेढ़ शताब्दी पूर्व ही हो गया था। रेलमार्ग के इतिहास में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 27 नवम्बर, 1888 को नागपुर से राजनांदगांव पहुंची। तत्पश्चात् 1888 में रायपुर नगर, 1889 में बिलासपुर नगर तथा 1890 में रायगढ़ नगर को मुम्बई-कोलकाता रेलमार्ग से सम्बद्ध किया गया और आज राज्य में लगभग 1,291 किमी रेलमार्ग पर रेलगाड़ियों का संचालन होता है। इसमें लगभग 90 किमी संकरा रेलमार्ग (नेरो गेज) सम्मिलित है। राज्य में बिलासपुर एवं नागपुर स्थित दक्षिण-पूर्वी रेलवे-क्षेत्र के अन्तर्गत रेल सुविधा संचालित है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, चंपा और रायगढ़ राज्य के प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं। राज्य में विस्तारित प्रमुख रेलमार्ग निम्नवत् हैं :

- रायपुर, महासमुन्द, टिटलागढ़ रेलमार्ग
- रायपुर, अभनपुर, राजिम, धमतरी रेलमार्ग
- मुम्बई, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, कोलकाता रेलमार्ग
- भिलाई, गुण्डरदेही, कुसुमकसा रेलमार्ग
- बिलासपुर, चांपा, कोरबा रेलमार्ग
- बैलाडीला, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कोरापुट रेलमार्ग
- विश्रामपुर, मनेन्द्रगढ़, अनूपपुर, बिलासपुर रेलमार्ग
- बिलासपुर, पेण्ड्रा रेलमार्ग।

वायुमार्ग

राज्य का एकमात्र हवाई अड्डा **रायपुर** में स्थित है, जो मुम्बई, कोलकाता, नई दिल्ली तथा चेन्नई आदि हवाई अड्डों से सम्बद्ध है। यहां से प्रायः प्रतिदिन ही उक्त स्थानों के लिए उड़ानें भरी जाती हैं। रायपुर हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है।

राज्य में स्थायी आठ हवाई पट्टियां चकरभाटा (बिलासपुर), भिलाई, जगदलपुर, अम्बिकापुर, जशपुर, कोरबा, रायगढ़ तथा सारंगगढ़ में स्थित हैं। इनके अतिरिक्त भी राज्य के प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्रों में भी हवाई पट्टियों का निर्माण प्रस्तावित है।

जलमार्ग

राज्य के दंतेवाड़ा जिले में प्रवाहित **सबरी** नदी में जल मार्ग सेवा संचालित है। इस नदी के तट पर स्थित 'कोंटा बन्दरगाह' से आन्ध्र प्रदेश के 'कुनावरम्' और 'राजमुन्दरी' बन्दरगाहों तक जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा राज्य की इस जल परिवहन सुविधा का विस्तार विचाराधीन है।

Scanned by PDF Scanner

राज्य की नई परिवहन नीति के अनुसार परिवहन विभाग दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं का फैलाव करते हुए सड़क परिवहन का उन्नयन, सुकर बनाने एवं विनियमन करने के लिए वचनबद्ध रहेगा। सक्षम व सार्वजनिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए नवीनतम सूचना एवं प्रौद्योगिकी को अपनाएगा।

अन्तर्राज्यीय सड़क परिवहन के बाधाविहीन एवं सुगम संचालन की दिशा में दृढ़तापूर्वक कार्य करने का प्रयास करेगा। सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में चालकों की गुणवत्ता एवं मानकीय उपयुक्तता को सुनिश्चित करेगा। यातायात एवं सड़क सुरक्षा नियमों, तेल संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण उपायों, आदि की जानकारी जनसामान्य को उपलब्ध कराएगा।

यातायात प्रबन्धन, सड़क प्रदूषण नियन्त्रण, ईंधन मिलावट का निवारण, सड़क के किनारे की सुविधाएं, पर्यटक यातायात आदि के विकास के लिए समन्वय की भूमिका निष्पादित करेगा।

छत्तीसगढ़ में संचार
(COMMUNICATION IN CHHATTISGARH)

दूरदर्शन

- छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 1972 से 1975 तक रायपुर दूरदर्शन केवल शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता था।
- 1986 से रायपुर दूरदर्शन ने स्थानीय प्रसारण शुरू किया।
- वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में 10 टी. वी. ट्रान्समीटर हैं।
- रायपुर व जगदलपुर में उच्च-शक्ति ट्रान्समीटर हैं।
- बिलासपुर, कोरबा, बैलाडीला, कांकेर, अम्बिकापुर, रायगढ़, मनेन्द्रगढ़ व डोंगरगढ़ में निम्नशक्ति ट्रान्समीटर हैं।

आकाशवाणी

- 2 अक्टूबर, 1963 को रायपुर आकाशवाणी ने अपना प्रसारण शुरू किया।
- आकाशवाणी के स्थायी स्टूडियो का उद्घाटन दिसम्बर 1976 को सिविल लाइन, रायपुर में किया गया।
- रायपुर आकाशवाणी के कुछ नियमित लोकप्रिय उद्घोषक है : कमल शर्मा, किशन गंगेले, राजकुमार सिंह, कल्पना यदु, मिर्जा मसूद।
- राज्य में आकाशवाणी के 5 केन्द्र हैं : 1. रायपुर, 2. बिलासपुर, 3. जगदलपुर, 4. अम्बिकापुर, 5. रायगढ़।

समाचार-पत्र

- सन् 1900 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रथम समाचारपत्र '**छत्तीसगढ़-मित्र**' को मासिक समाचार-पत्र के रूप में माधवराव सप्रे ने पेण्ड्रारोड (बिलासपुर) से प्रकाशित किया। यह समाचार-पत्र 32 पृष्ठों का था।
- छत्तीसगढ़ क्षेत्र के प्रथम दैनिक समाचार-पत्र '**महाकौशल**' का प्रकाशन सन् 1951 में हुआ था।
- छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सन् 1942 से 1982 तक 'अग्रदूत' साप्ताहिक समाचार-पत्र का प्रकाशन केवलप्रसाद शर्मा तथा स्वराज द्विवेदी के सम्पादन में होता रहा है। अब यह समाचार-पत्र सान्ध्य दैनिक हो गया है।
- छत्तीसगढ़ क्षेत्र में शिवनारायण द्विवेदी के सम्पादन में 'नवभारत' समाचार-पत्र का प्रकाशन 9 अप्रैल, 1959 से प्रारम्भ हुआ।
- छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 17 अप्रैल, 1959 को स्व. श्री मायाराम सुरजन के सम्पादन में 'नई दुनिया' का प्रकाशन हुआ। जो अब 'देशबन्धु' के नाम से प्रकाशित हो रहा है।
- छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सन् 1994 में गोविन्दलाल वोरा के सम्पादन में 'अमृत-सन्देश' का प्रकाशन आरम्भ हुआ।
- छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सन् 1991 में 'दैनिक भास्कर' का प्रकाशन आरम्भ हुआ।

Scanned by PDF Scanner

- छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सन् 1924 में 'कान्यकुब्ज' नामक पत्रिका का प्रकाशन पं. रविशंकर शुक्ल के सम्पादन में हुआ।
- छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सन् 1933 में सुन्दरलाल त्रिपाठी ने 'उत्थान' नाम की मासिक पत्रिका आरम्भ की।

प्रमुख दैनिक समाचार-पत्र

- **रायपुर**—नव-भारत, दैनिक भास्कर, देशबन्धु, स्वदेश, समवेत-शिखर, अमृत-सन्देश, अग्रदूत, तरुण-छत्तीसगढ़, हितवाद, एम. पी. क्रॉनिकल, हाइवे चैनल, हरिभूमि, हिन्दुस्तान टाइम्स, राष्ट्रीय हिन्दी मेल।
- **राजनांदगांव**—सवेरा-संवेत।
- **जगदलपुर**—दण्डकारण्य समाचार, हाईवे चैनल।
- **रायगढ़**—दैनिक जनकर्म, रायगढ़ सन्देश।
- **बिलासपुर**—टाइम्स लोकस्वर, नवभारत, देशबन्धु, अग्रदूत, हरिभूमि।
- **कोरबा**—तरुण छत्तीसगढ़, भारत दर्पण, शिव सम्पत्ति।
- **अम्बिकापुर**—अम्बिका, आज का सरगुजा, रिहन्द टाइम्स, अरुणाचल मित्रमण्डल।
- **धमतरी**—प्रखर-समाचार।
- **दुर्ग**—अमर-किरण, पहट, चिन्तक।
- **भिलाई**—श्रम बिन्दु, भिलाई समाचार।

प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाएं

पत्रिकाएं	लेखक	पत्रिकाएं	लेखक
संज्ञा	हरिठाकुर	मुक्ति	राजनारायण मिश्र
साथी छत्तीसगढ़	दयाशंकर शुक्ल	खेतिहर वार्ता	जापतलाल साव
नभ	मधुकर खेर	साम्य	विजय गुप्ता
इत्यलम	नन्दकिशोर तिवारी	रश्मि-प्रवाह	सुरेश तिवारी
अपना मोर्चा	रंजीत भट्टाचार्य	अक्षर पर्व	ललित सुरजन
सद्भावना दर्पण	गिरीश पंकज	सूत्र	विजय सिंह
संगत	बहादुरलाल तिवारी	सापेक्ष	महावीर अग्रवाल
हस्ताक्षर	विभु कुमार		

महत्वपूर्ण प्रश्न

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. छत्तीसगढ़ राज्य में खनिज एवं खनिज आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए।
2. छत्तीसगढ़ में वन एवं प्रमुख वनोपज का वर्णन कीजिए।
3. छत्तीसगढ़ में कृषि एवं कृषि विकास को सविस्तार समझाइए।

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. आर्थिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं?
2. छत्तीसगढ़ की जनसंख्या की विशेषताएं बताइए।
3. छत्तीसगढ़ में सड़क परिवहन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
4. छत्तीसगढ़ में बिजली आपूर्ति के विकास पर संक्षेप में प्रकाश डालिए।
5. छत्तीसगढ़ के प्रमुख उद्योगों पर टिप्पणी लिखिए।
6. छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक विकास की सम्भावनाओं पर टिप्पणी लिखिए।
7. छत्तीसगढ़ के भूमि धारण एवं उपयोग को संक्षेप में समझाइए।
8. छत्तीसगढ़ के भूमि उपयोग को बताइए।
9. छत्तीसगढ़ के संचार साधन कौन से हैं?

Scanned by PDF Scanner

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. वर्ष 2011 की जनगणनानुसार, छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या है :
   (A) 1,75,14,000 (B) 1,76,20,000
   (C) 2,55,45,198 (D) 1,76,17,000
2. वर्ष 2011 की जनगणनानुसार, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रति हजार महिलाओं पर पुरुष संख्या है :
   (A) 980 (B) 982
   (C) 991 (D) 995
3. वर्ष 2011 की जनगणनानुसार, छत्तीसगढ़ राज्य की जनसंख्या है ?
   (A) 129 (B) 189
   (C) 131 (D) 132
4. छत्तीसगढ़ राज्य का अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है :
   (A) रायपुर (B) दुर्ग
   (C) रायगढ़ (D) विलासपुर (विजयपुरा)
5. राज्य में जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क कहां प्रस्तावित है ?
   (A) धमतरी (B) कोरबा
   (C) रायपुर (D) बीजापुर
6. छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा राज्य में कितने उत्पादन केन्द्र संचालित हैं ?
   (A) 7 (B) 8
   (C) 9 (D) 10
7. भारत ऐलुमिनियम कम्पनी लिमिटेड की कोरबा में स्थापना किस वर्ष हुई ?
   (A) 1965 (B) 1972
   (C) 1975 (D) 1980
8. लौह-अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ का देश में कौन-सा स्थान है ?
   (A) पहला (B) दूसरा
   (C) तीसरा (D) चौथा
9. छत्तीसगढ़ निम्न में से किसका एकमात्र उत्पादक राज्य है ?
   (A) चूना पत्थर (B) कोरण्डम
   (C) टिन अयस्क (D) लौह-अयस्क
10. गोधन न्याय योजना किस राज्य में संचालित है ?
    (A) मध्य प्रदेश (B) गुजरात
    (C) छत्तीसगढ़ (D) उत्तर प्रदेश
11. छत्तीसगढ़ राज्य की प्रमुख वनोपज है :
    (A) काष्ठ उत्पादन एवं पलाऊ लकड़ी (B) वनतुल
    (C) चरौटा बीज (D) साल बीज
12. छत्तीसगढ़ का नवीनतम वन अभयारण्य है :
    (A) अबुझमाड़ (B) सेमरसोत
    (C) मायकोट (D) भोरमदेव
13. छत्तीसगढ़ में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता है :
    (A) 2984 मेगावाट (B) 2,326 मेगावाट
    (C) 3,416 मेगावाट (D) 5,311 मेगावाट
14. छत्तीसगढ़ मुख्य रूप से किस रेलवे जोन के अन्तर्गत आता है :
    (A) दक्षिण-पूर्वी रेलवे (B) मध्य रेलवे
    (C) उत्तर रेलवे (D) उत्तर-पूर्वी रेलवे
15. छत्तीसगढ़ का प्रथम रेलमार्ग है :
    (A) के. के. लाइन (B) कटनी-बिलासपुर लाइन
    (C) नागपुर और राजनांदगांव (D) इनमें से कोई नहीं

Scanned by PDF Scanner

16. राज्य में कितने जिले मोटे अनाज (मिलेट) जिले के रूप में चिह्नांकित हैं ?
(A) 13
(B) 14
(C) 15
(D) 18

17. स्थिर भावों पर वर्ष 2022-23 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है ?
(A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 9

18. 2022-23 में राज्य में प्रति व्यक्ति आय (निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर) अनुमानित है :
(A) ₹ 1,16,816
(B) ₹ 1,20,704
(C) ₹ 1,25,711
(D) ₹ 1,33,898

19. छत्तीसगढ़ में जी.डी.पी. स्थिर भाव (आधार वर्ष 2011-12) में वर्ष 2022-23 में कृषि क्षेत्र का योगदान है :
(A) 16.9
(B) 18.7
(C) 19.2
(D) 21.4

20. राज्य में जी.डी.पी. स्थिर भाव (आधार वर्ष 2011-12) में वर्ष 2022-23 में उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है ?
(A) 42.1
(B) 46.7
(C) 49.9
(D) 50.25

[उत्तर : 1. (C), 2. (C), 3. (B), 4. (A), 5. (C), 6. (C), 7. (A), 8. (C), 9. (C), 10. (C),11. (A), 12. (D), 13. (A), 14. (A), 15. (C), 16. (B), 17. (C), 18. (D), 19. (A), 20. (C)]

Scanned by PDF Scanner